महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ
Significant Accounting Policies
2017-18

अनुसूची–24 / SCHEDULE-24

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **राजस्व मान्यता :**
पत्तन की आय के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है :

क) जलयान संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से पाइलटेज, पत्तन देय और घाट किराया प्रभार शामिल हैं,

ख) कार्गो संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर और बल्क दोनों के लिए प्रहस्तन प्रभार और घाट शुल्क शामिल हैं,

ग) कंटेनर और बल्क दोनों प्रकार के कार्गो पर विराम समय प्रभार,

घ) भूमि और इमारतों के लिए सम्पदा संबंधी प्रभार, यथा – किराया, जल और विद्युत,

च) बी.ओ.टी. परियोजनाओं एवं न्यूनतम निश्चित व्यवसाय से प्राप्त रॉयल्टी /राजस्व,

छ) निवेशों पर ब्याज/लाभांश आय,

ज) बी ओ टी प्रचालकों को दी गई सेवाएँ ।

उपर्युक्त (क) एवं (ख) पर बताए गए जलयान संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों को सेवा पूरी तरह देने के बाद तत्काल स्वीकार किया जाता है । जलयान और संबंधित कार्गो के मामले में, यदि सेवा लेखाकरण अवधि के अंत तक पूरी नहीं होती है तो राजस्व को अगली लेखाकरण अवधि में स्वीकार किया जाता है । यह लेखाकरण मानक–9 (राजस्व मान्यता) के अंतर्गत पूरी सेवा ठेका विधि के अनुसार है । बिंदु (ग) पर दशाई गई विराम समय आय को कार्गो के पत्तन परिसर में रहने की अवधि में से निशुल्क अवधि कम करके कार्गो के पत्तन से जाने के बाद ही लेखे में शामिल किया जाता है । विराम समय प्रभार दिन प्रति दिन उपार्जित नहीं होते हैं ।

सम्पदा संबंधी प्रभारों के मामले में किराए हर महीने या उसके अंश में देय हैं । इसलिए, किराए की आय महीने के आरंभ में ही लेखे में शामिल कर ली जाती है । जल प्रभारों के मामले में, जहाँ प्रभार निश्चित हैं, वहाँ महीने के आरंभ में और जहाँ मीटर रीडिंग के आधार पर खपत का निर्धारण किया जाता है, वहाँ राजस्व को आने वाले महीने की बिलिंग में लिया जाता है । विद्युत प्रभारों के मामले में, आय बिलिंग के आधार पर अर्थात, अगले महीने लेखे में ली जाती है।

बंधपत्र, सावधि जमा के ब्याज को उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है ।

1 **Revenue Recognition**
The Port's major sources of income are classified as follows:

a) Vessel Related Charges consisting mainly of Pilotage, Port dues and Berth hire charges,

b) Cargo related charges consisting mainly of handling charges and wharfage charges for both Container and Bulk,

c) Dwell time charges on cargo both Container and Bulk,

d) Estate Related Charges for land and buildings, namely, Rent, Water and Electricity,

e) Royalty/Revenue sharing from BOT Projects & MGT,

f) Interest/Dividend Income on investments,

g) Services rendered to BOT operators.

Vessel Related Charges and Cargo Related Charges at (a) & (b) above are recognized immediately on completion of the services to be rendered. For vessels and related cargo, where the service is not completed at the end of the accounting period, the revenue is recognized in the next accounting period. This is as per the completed service contract method under AS-9 (Revenue Recognition). Dwell time income at (c) is recognized only when the cargo departs from the Port premises, for the period the cargo was in the Port, after reducing any free period applicable. Dwell time charges are not accrued on day to day basis.

For Estate Related Charges, rents are payable per month or part thereof. Therefore, rental income is recognized in the beginning of the month. In the case of water charges, where the charge is fixed the income is recognized in the beginning of the month and where the consumption is dependent on the meter reading, revenue is recognized on the billing done in the subsequent month. In the case of electricity, income is recognized on billing i.e. in the subsequent month.

Interest on Bonds, Fixed Deposits is recognized on accrual basis.

बीओटी परियोजना से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी/राजस्व को बीओटी प्रचालकों के वास्तविक निष्पादन और न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय पर उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है । टैंक फार्म के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय सम्बंधी अर्थदण्ड को वित्तीय वर्ष 2005-06 तक संबंधित टैंक फार्म प्रचालकों की पट्टे की अवधि की वार्षिक तारीखों पर उपार्जन आधार पर लेखित किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान टैंक फार्म प्रचालकों के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय में कमी होने पर घाट शुल्क के बिल न उगाहने का निर्णय लिया गया क्योंकि इस आय में अनिश्चितता बनी रहती है और साथ ही यह पूरा मामला विवाचन के लिए भेजा गया था । किन्तु, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय एक संविदागत बाध्यता भी है तथा उनके बिलों को न वसूला जाना बाद में हमारे दावे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, वर्ष 2006-07 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बिल वसूलने का निर्णय लिया गया । अन्य प्रचालकों से भी ठेका दायित्व के अनुसार न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय दण्ड उपार्जित आधार पर लेखे में लिया जाता है । (लेखाकरण नीति सं. 12 भी देखिए ।)

संरक्षी और सावधान रहने की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों के अग्रिमों और उन पर ब्याज सहित अन्य सभी प्रकार की आय को नकद रूप से लेखे में लिया गया है ।

2. नियत परिसम्पत्तियाँ

क) वास्तविक लागत, जिसमें निर्माण लागत, आयात करों सहित क्रय मूल्य, अन्य कर और परिसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए चालू हालत में लाने की प्रत्यक्ष आरोप्य लागत भी है, को बहियों में ऐतिहासिक मूल्य पर दर्ज किया गया है ।

निर्माण की अवधि में पूंजीकृत परिसम्पत्तियों के मामले में आरंभ होने की तिथि अर्थात 26 मई, 1989 तक ऋणों पर उपार्जित ब्याज को भी पूंजीकृत किया गया है । परियोजना के आरंभ की तिथि तक सभी प्रकार के व्यय पूंजीकृत किए गए हैं।

ख) प्रशासन और अन्य सामान्य उपरिव्यय जब तक परियोजना / परिसम्पत्तियों पर विशिष्ट रूप से आरोप्य और सीधे सम्बंधित न हों, तब तक नियत परिसम्पत्तियों की लागत से अलग रखे गए हैं ।

ग) नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ/(हानि) को लाभ और हानि लेखे में लेखित किया जाता है ।

घ) **पट्टे की परिसम्पत्तियां** : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखाकरण मानक–19 के अनुसार दि. 1.4.2001 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखाकरण अवधि के दौरान वित्तीय पट्टे के अधीन पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए । जनेप न्यास में वित्तीय पट्टे की तरह की कुछ पट्टा परिसम्पत्तियाँ हैं जिन्हें 1995 और 1997 में पट्टे पर लिया गया था । इसलिए वे मानक की

Royalty/Revenue sharing from BOT projects are recognized on accrual basis, on the BOT operator's actual performance and Minimum Guaranteed Throughput. MGT penalty for tank farms is recognized on accrual basis based on anniversary dates of the lease period of respective tank farm operators up to financial year 2005-06. During financial year 2006-07, a decision had been taken not to raise bills in respect of wharfage on shortfall in Minimum Guaranteed Throughput of tank farm operators keeping in view the uncertainty associated with such an income and the fact that entire matter has been referred to arbitration. However, during financial year 2008-09 keeping in view the fact that MGT is also a contractual obligation and non raising of bills may effect our claim at a later date, a decision was taken to raise bills retrospectively from 2006-07 onwards. MGT penalty for other operators is also recognized on accrual basis as per contractual obligation. (Also refer accounting policy no. 12.)

All other income including interest on employee advances are recognized on cash basis in keeping with need to be conservative and prudent.

2 Fixed Assets

a) Fixed assets are stated in the books at historical value, based on actual cost consisting of construction cost, purchase price including import duties, other taxes and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

In the case of assets capitalized during the period of construction, interest accrued on loans till the date of commissioning i.e. 26th May 1989 has also been capitalized. All expenses upto Date of Commissioning of the project have been capitalized.

b) Administration and other general overhead expenses, unless they are specifically attributable and directly identifiable with the project/assets, are excluded from the cost of fixed assets.

c) Profit/(Loss) on sale/disposal of Fixed assets are accounted for in the Profit and Loss Account.

d) Leased Assets- As per AS-19 of the ICAI, assets leased under a financial lease during accounting periods commencing on or after 1.4.2001, should be capitalized. JNPT had certain leased assets, in the nature of Financial Lease, leased in 1995 and 1997. Therefore, they were not covered by the standard and the lease payments were

परिधि में नहीं आती थीं और पट्टे के भुगतान लाभ एवं हानि/राजस्व लेखे में दर्ज किए जाते थे । पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भविष्य के पूंजीकृत व्यय की पहचान करने एवं उन पर नियंत्रण रखने एवं के लिए इन परिसम्पत्तियों को रु. 1/- के प्रतीक मूल्य पर लेखाबही में पूंजीकृत किया गया है। चूँकि अगस्त, 2007 में पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए भविष्य के पट्टे के भुगतानों को लेखों पर की गई टिप्पणियों में नहीं दिखाया गया है ।

नियत परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते में डालना : नियत परिसम्पत्तियों को महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 के खंड 96(क) ऑर बट्टे खाते में डालने की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन आवश्यक उचित प्राधिकार मिलने पर ही बट्टे खाते में डाला जाता है । परिसम्पत्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि की पहचान तदनुसार की जाती है ।

3. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सरकार द्वारा जारी निदेशों/परिपत्रों/मार्गदर्शी निर्देशों में दी गई परिसम्पत्तियों की आर्थिक आयु के आधार पर सीधे-सीधे लगाया जाता है ।

वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित रूप से किया गया है :-

प्रयोग में लाई गई परिसम्पत्तियाँ

1. 30 दिनों तक : शून्य
2. 30 दिनों से अधिक पर 180 दिनों तक : आधा (50%)
3. 180 दिनों से अधिक : पूरा मूल्यह्रास (100%)

रु. 1,00,000/- से कम लागत की वैयक्तिक परिसम्पत्तियों को क्रय वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में पूरी तरह प्रभारित किया जाता है । किन्तु ऐसी परिसम्पत्तियों के मामले में, यदि उनके समूह का मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक हो तो पूरे समूह को एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । यदि ऐसी मद पूँजी व्यय द्वारा प्राप्त की गई हों तो उन्हें एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है चाहे उनका मूल्य रु. 1,00,000/- से कम क्यों न हो । ऐसी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि यदि भविष्य में परिसम्पत्तियों को प्रतिस्थापित किया जाए तो उन पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके ।

4 निवेश

पत्तन के निवेश मुख्यत: निम्नलिखित हैं :-

क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्र,
ख) विशेष उद्देश्य कम्पनी में इक्विटी/अधीनस्थ ऋण,
ग) बैंकों में सावधि जमा ।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बंधपत्रों में निवेश समान मूल्य पर किया गया है जो सामान्यत: दीर्घ अवधि निवेश है और मियाद पूरी होने पर मूल्य के समकक्ष भुनाए जाने के लिए है । इसलिए उनका मूल्यांकन लागत के समकक्ष (मूल्य समकक्ष) होता है ।

charged to the Profit and Loss/Revenue Account. Upon expiry of lease period these assets have been capitalized in our books of accounts for a token sum of Re.1 each to have control and identifying future capital expenditure. Since the lease period has expired in Aug'07, future lease payments are not indicated in the notes to Account.

Write-off of Fixed Assets- Fixed assets are written off only after proper authorization as required under clause 96A of the Major Port Trusts Act and the Delegation of Powers for write-off of assets. Profit / Loss on sale of Assets is recognised accordingly.

3 Depreciation

Depreciation of fixed assets is provided on straight-line basis based on the economic life of assets given in the directives/circulars/guidelines issued by the Government.

Assets capitalized during the year are depreciated as follows:

Assets put to use

1. upto 30 days - Nil
2. Above 30 days & upto 180 days - Half (50%)
3. Above 180 days - Full depreciation (100%)

Individual assets costing less than Rs.1,00,000/- are fully charged to revenue expenditure in the year of purchase. However, in case of such assets if the lot size is more than Rs.1,00,000/- then the lot is capitalized as a single item. If such items have been acquired by incurring capital expenditure the same are capitalised as a single item even if the value is below Rs.1,00,000/-. This practise is followed in order to have better control when the assets are replaced in future.

4 Investments

The Port's investments broadly consist of the following:-

a) PSU Bonds,
b) Equity/Sub-ordinate loan in SPV,
c) Fixed Deposits with Bank.

The investment in PSU Bonds have been made at par and generally in the nature of long term investments to be redeemed on maturity at par value. Therefore, they are valued at cost (par value).

5. सेवा निवृत्ति लाभ

क) कर्मचारियों को पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के देय लाभों को तीन वर्ष में एक बार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित रूप से प्रदान किया जाता है। सेवानिवृत्ति निधि और उपदान निधि में अंशदान इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सृजित निधियों में किया जाता है । निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है । छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान भी 31 मार्च, 2004 से किया गया है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित छुट्टी नकदीकरण निधि में वार्षिक योगदान किया जाता है ।

ख) किया जाने वाला वार्षिक योगदान उस वित्तीय वर्ष में संवितरित राशि से कम नहीं होना चाहिए ।

ग) सभी तीनों अधिवर्षिता निधियों की देयताओं का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन, प्रत्येक निधि में किए गए निवेश की राशि तथा यदि कोई कमी हो तो उसे पत्तन के वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा ।

घ) अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

च) सामान्य भविष्य निधि के सदस्यों से भविष्य निधि के लिए वसूली गई राशियों को इसके लिए बनाए गए भविष्य निधि न्यास में स्थानांतरित कर दिया जाता है ।

6. निवेशों पर ब्याज

वर्ष 2002-03 तक, निवेशों पर अर्जित ब्याज राजस्व खाते में जमा किया जाता था । लेखा परीक्षा के जोर देने एवं बिलिमोरिया रिपोर्ट की अपेक्षाओं के अनुसार, निम्नलिखित आरक्षित निधियों के निवेशों पर अर्जित ब्याज को वित्तीय वर्ष 2003-04 से सीधे आरक्षित निधियों में जमा किया गया :

क) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास, और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित निधि।

ख) विकास, ऋणों के पुनर्भुगतान एवं आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि ।

यह लेखाकरण नीतियों में एक बदलाव था एवं इसका प्रभाव वर्ष 2003-04 के लेखों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट हुआ। पत्तन बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा निर्धारित पद्धति से सहमत नहीं था । इसलिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की सलाह ली गई । विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति ने कहा कि पत्तन द्वारा पूर्व में अपनाई जा रही पद्धति सही है । इसलिए मुख्य महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से पत्तन इन दो निधियों के ब्याज को राजस्व लेखों में जमा कर रहा है एवं पूर्व की पद्धति के अनुसार लाभ–रेखा से नीचे विनियोग कर रहा है।

5 Retirement Benefits

a) Pension, Gratuity and leave encashment liability to employees are provided for on accrual basis based on actuarial valuation done once in three years. Contributions are made to Pension Fund and Gratuity Fund created in Trusts set up for this purpose and the funds are managed by LIC of India. The leave encashment liability has also been provided for w.e.f. 31st March'2004 and annual contributions are being made to the Leave Encashment fund managed by LIC of India.

b) Annual contribution to be made shall not be less than the amount of disbursement made in that financial year.

c) The latest acturial valuation of liability of all the three superannuation funds, the amount of investments held by each of this fund and the shortfall if any shall be disclosed in the Notes on Accounts to the financial statements of the Port

d) Employers contribution to Contributory Provident Fund are charged to the Profit & Loss Account.

e) The amounts recovered from the members of General Provident Fund towards Provident Fund are transferred to Provident Fund Trust formed for this purpose.

6 Interest on Investments

Until the year 2002-03, interest earned on investment was credited to Revenue Account. At the insistence of audit, and as per the requirements of the Billimoria Report, the interest earned on investments pertaining to the following reserves were credited directly to the reserves in financial year 2003-04.

a) Reserve for replacement, rehabilitation and modernization of capital assets.

b) Reserve for development, repayment of loans and contingencies.

This was a change in accounting policy, and the impact is disclosed in the Notes on Accounts for the year 2003-04.

The Port was not in agreement with the method prescribed by the Billimoria Report and therefore sought the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Expert Advisory Committee opined that the earlier practice followed by Port is correct. Therefore, with the approval of CAG, the Port is crediting the interest to revenue accounts then making appropriation below the line as per earlier practice.

7. वस्तुसूचियाँ

वस्तुसूचियों में मुख्यत: अनुरक्षण पुर्जे, औजार और उपभोग होने वाली वस्तुएं हैं और उनका मूल्य औसत भार पद्धति पर नियत होता है । वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष के अंत में उप-भंडार में उपलब्ध वस्तुसूचियों का आकलन करके उन्हें उपभोग से हटा लिया गया और तदनुसार लेखों में दिखाया गया है ।

8. उधार लागत

उधार लागत जो सीधे ही परिसम्पत्तियों के अर्जन और संरचना के लिए होती है, परिसम्पत्ति के आरंभ होने की तिथि को पूंजीकृत की जाती है। पूंजीकरण के बाद ऋणों पर ब्याज उपार्जित आधार पर राजस्व में प्रभारित होता है ।

9. विदेशी मुद्रा का लेन - देन

कलपुर्जों और बड़े उपस्करों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया जाता है ।वित्तवर्ष 2015-16 तक पत्तन ने कोई विदेशी मुद्रा ऋण नहीं लिया है, और न इस संबंध में उसने कोई ठेका दिया है । तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पत्तन ने वर्तमान 4 लेन की सड़कों को 6/8 लेन का बनाकर सड़क सम्पर्क सुधारने की सड़क विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित विशेष उद्देश्य कम्पनी- मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड को देने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाहरी वाणिज्यिक ऋण लिया है । इस बाहरी वाणिज्यिक ऋण के वर्ष के अंत में बकाया शेष पर निकलने वाले विनियम के अंतर की लाभ एवं हानि लेखे मे आय या व्यय के रुप पहचान की जाएगी। साथ ही पत्तन को जलयान संबंधी प्रभारों एवं कंटेनरों के विराम समय प्रभारों के रुप मे कुछ आमदनियाँ होती है, जिनकी गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है लेकिन उसे जलयान के पत्तन में प्रवेश की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर रुपयों में प्राप्त किया जाता है। निर्यात कंटेनरों के लिए विनिमय दर पत्तन क्षेत्र में कंटेनरों के आगमन की तिथि को मौजूदा दर के अनुसार होगी।

10.बीमा सुरक्षा - विस्तृत पत्तन पैकेज नीति :

पत्तन ने नीतिगत रूप से निम्नलिखित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विस्तृत बीमा सुरक्षा कराई है :

1. भूकम्प जोखिम के विस्तार के साथ मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)
2. विस्तृत पत्तन पैकेज - सम्पत्ति
3. विस्तृत पत्तन पैकेज - देयता
4. विस्तृत पत्तन पैकेज - व्यापार व्यवधान (एफएलओपी/एमएलओपी/पत्तन कामकाज में बाधा/मलबे की निकासी)
5. समुद्री पेटा - प्लवन नौकाएँ
6. निष्ठा गारंटी बीमा

7 Inventories

Inventories mainly consist of maintenance spares, tools and consumables and are valued at cost determined on weighted average method. With effect from F.Y. 2007-08 Inventories lying at sub-stores at the end of the year have also been valued and reduced from consumption and accordingly reflected in the Accounts.

8 Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, constructions of assets are capitalized till the date on which the asset is commissioned. Interest on loans after capitalization is charged to Revenue on accrual basis.

9 Foreign Currency Transactions

Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Till FY 2015-16, Port had neither borrowed in foreign currency nor had entered into any forward contracts. However, during FY 2016-17, the Port has availed External Commercial Borrowings (ECB) of USD 400 Million for On-lending to the Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL), a special purpose vehicle created for implementation of road widening project comprising expansion of existing 4 lane roads to 6/8 lane roads for improving connectivity to the Jawaharlal Nehru Port. The exchange differences arising on outstanding balances of ECB Loan as on year end date shall be recognised as income or expense in the Profit & Loss account for the period.

Also, the Port has certain incomes like vessel related charges and dwell time charges on container which are denominated in US$, but collected in Indian Rupees using the reference rate of RBI as on date of entry of vessel into Port. For export containers, the exchange rate shall be as on the date of arrival of containers in the Port premises.

10 Insurance Cover –

Comprehensive Port Package Policy The Port as a matter of policy has taken the comprehensive insurance for the covering the following risks:

1. Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township).
2. Comprehensive Port Package – Property
3. Comprehensive Port Package - Liability
4. Comprehensive Port Package – Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal)
5. Marine Hull – Floating Crafts
6. Fidelity Guarantee Policy

7. इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर बीमा
8. निदेशक तथा अधिकारी दायित्व पालिसी
9. आतंकवाद से विशेष सुरक्षा

11.आय पर करों का लेखाकरण (लेखाकरण मानक – 22)

पत्तन ने वित्तीय विवरण में लेखाकरण मानक–22 को अपनाया है जो कि अब अनिवार्य हो चुका है । इसके परिणामस्वरूप तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे में आस्थगित कराधान को सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, समय में अन्तर – मुख्य रूप से मूल्यह्रास एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(ख) के तहत आने वाली मदों के परिणामस्वरूप होने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, प्रभारों एवं क्रेडिटों को लेखों में मान्यता दी गई है ।

12.विवादित आय के संबंध में लेखाकरण नीतियों में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी परिवर्तन

मंडल की 29 मार्च, 2011 को हुई 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णय का संदर्भ लें, जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया है :

''नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से निपटने तथा वित्तीय विवरणों की अधिक सटीक तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण को पेश करने, 'कमी एवं व्यवसाय पर अर्थदण्ड' से जनेप न्यास को होने वाली आय के लिए लेखाकरण की नीति में परिवर्तन को अनुमोदन देने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 9 की अपेक्षाओं तथा पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदेश के अनुपालन में संकल्प किया जाता है कि 'बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज' तथा 'जनेप न्यास की अन्य किसी प्रकार की आय' जो संबंधित पत्तन उपभोक्ताओं द्वारा विवादित है, ऐसी विवादित आय को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता दी जाएगी जिस वर्ष अंतिम वसूली की संभावना अविवेकपूर्ण नहीं होगी ।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि यह परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी होगा ।''

उपर्युक्त के अनुपालन में, वर्ष 2017-18 की न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय की आय को वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया है । लेखाकरण नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 की आय/लाभ रु. 12.01 करोड़ कम है ।

7. Electronic Equipment Insurance
8. Directors and Officers Liability Policy
9. Standalone terrorism cover

11 Accounting for Taxes on Income AS - 22

The Port has adopted AS-22 in the Financial Statement, which has become mandatory. This has resulted in the Balance Sheet and Profit and Loss Account to include Deferred Taxation. Accordingly, timing differences mainly on account of depreciation and items covered under Sec.43 (B) of the Income Tax Act, 1961 resulting in Deferred Tax Assets and liabilities, charges and credits have been recognized in the accounts.

12 Change in accounting policy effective from FY 2010-11 in respect of disputed income

Reference is invited to the decision taken in the 13th Board Meeting held on 29th March 2011 wherein following resolution was passed :

"RESOLVED in compliance with the requirements of Accounting Standard 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Instruction of the Ministry of Shipping and Transport, to address the audit objections raised by C&AG and to present a more appropriate preparation and presentation of the financial statements, to approve the change in the policy of accounting for the income arising to JNPT from "Penalty for Shortfall and Throughput". "Penal interest on outstanding dues" and "any other income of JNPT" which are disputed by the concerned Port users, to the effect that such disputed income shall be recognised in the financial year in which it is not unreasonable to expect the ultimate collection.

Resolved further that this change shall be effective from the inancial year 2010-11".

In compliance with the above, MGT income for the year 2017-18 has not been recognised in the financial statements. As a result of change in accounting policy, income/profit for the year 2017-18 is lower by 12.01 Crores

यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोडा गया है।
This page is kept intentionally blank

लेखों पर टिप्पणियाँ
Notes on Accounts
2017-18

अनुसूची–25 / SCHEDULE-25

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

1 **क्षमता में वृद्धि**

ज.ने. पत्तन में चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास

मेसर्स भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि. (बीएमसीटीपीएल) को एक छूट करार के माध्यम से दि. 06 मई, 2014 को डीबीएफओटी आधार पर चौथे कंटेनर टर्मिनल के विकास का कार्य सौंपा गया था । कार्य सौंपने की तारीख 22 दिसंबर, 2014 थी । बीएमसीटी पत्तन क्षेत्र में भारत की विदेशी निवेश की सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें अनुमानित निवेश रु.7,935 करोड़ है, जो आठ वर्षों में तथा दो चरणों में (चरण I रु.4719 करोड़ तथा चरण II रु.3196 करोड़) पूरा होगा ।

इस परियोजना में दो चरण हैं, प्रत्येक चरण में 1 कि.मी. के घाट का निर्माण, घाट पर 16.5 की गहराई, 12 घाट क्रेनें, 46 आरटीजी यार्ड क्रेनें तथा रेल यार्ड के लिए 4 आरएमजीसी क्रेनें शामिल हैं इस परियोजना से क्षमता में 2.4 मिलियन टीईयू (कुल 4.8 मिलियन टीईयू) की वृद्धि होगी ।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का कार्य दि.22 दिसम्बर, 2017 को पूरा हो चुका है तथा इस पर प्रचालन भी आरंभ हो चुका है । दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2022 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा ।

2 **पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए 'सागरमाला कार्यक्रम' के तहत अनेक परियोजनाएं शुरु की गई हैं तथा पोत–परिवहन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं की पहचान की थी :**

1) तटीय घाट :

जनेप न्यास ने तटीय घाट की परियोजना शुरू की है जहां 1.5 मेट्रिक टन द्रव कार्गो तथा 0.5 मेट्रिक टन तटीय कार्गो का प्रहस्तन किया जाएगा। रु. 143.32 करोड़ की लागत पर दि.31.03.2017 को इसका कार्य सौंपा गया था तथा कार्य प्रगति पर है। मार्च 2019 तक कार्य पूरा होने की अपेक्षा है।

2) अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट :

4.5 मीट्रिक टन की क्षमता के अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट का विकास कार्य निविदा स्तर पर है। इसकी अनुमानित लागत रु.309.12 करोड़ है तथा मार्च 2020 तक इसका कार्य आरंभ होने की अपेक्षा है।

3) सड़क संपर्क तथा आधारिक संरचना की परियोजनाएँ :

i) मुंबई जनेप न्यास पत्तन सड़क संपर्क परियोजना

मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2000 में अनुमोदित सड़क संपर्क कार्यक्रम अर्थात पहले चरण की परियोजना के तहत जनेप न्यास के लिए 4 लेन के सड़क संपर्क का निर्माण करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1 **Capacity Addition:**

Fourth Container Terminal at JNPT.

M/s Bharat Mumbai Container Terminals Pvt. Ltd. (BMCTPL) was awarded the development of Fourth Container Terminal on DBFOT basis through a Concession Agreement on 6th May 2014. The date of award was 22nd Dec. 2014. BMCT is India's largest FDI project in the Port Sector, with an estimated investment, of INR 7,935 crores spread over eight years for two phases (Phase I Rs.4719 crores and Phase II Rs.3196 crores).

The project comprises of two phases – each phase comprises 1 Km of quay line, 16.5 mtrs depth at berth, 12 quay cranes, 46 RTG Yard cranes and 4 RMGC cranes for its rail yard generating a capacity of 2.4 Million TEU (total 4.8 MTEU).

As per schedule, the work of Phase I is completed on 22nd December 2017 and put to in operation. The Phase II is in progress and schedule date of completion is December 2022.

2 **Various projects have been undertaken in the 'Sagarmala Programme' for modernization of Ports and the Ministry of Shipping had identified the following projects during FY 2017-18.**

a) Coastal Berth :

JNPT has taken up the project of 'Coastal Berth' wherein liquid traffic of about 1.5 MT and costal cargo of 0.5 MT will be handled. The work has been awarded for Rs.143.32 crores on 31.3.2017 and the work is in progress. The expected date of completion is March 2019.

b) Additional Liquid Cargo Jetty :

Development of additional liquid cargo jetty with a capacity of 4.5 MT is in tendering stages. The estimated cost is Rs.309.12 crores and expected commissioning is by March 2020.

c) Road Connectivity & Development of Infrastructure Projects :

i) Mumbai JNPT Port Road Connectivity Project :

4 Lane connectivity to JNPT was executed by NHAI under Port Connectivity programme approved by the Cabinet in

द्वारा पूरा किया गया था । पहले चरण के दौरान वर्ष 2000 में मुंबई–जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी (विशेष उद्देश्य कंपनी) का गठन किया गया था जिसके तीन हितधारक थे यथा i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ii) जेएनपीटी तथा iii) सिड़को। मुंबई–जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी (एमजेपीआरसीएल) ने मुंबई–जेएनपीटी पत्तन सड़क संपर्क को 4 पैकेजों में 6/8 लेन का बनाने की परियोजना हाथ में ली है । 16 मई, 2016 को कार्य सौंपा गया था तथा उपर्युक्त सभी 4 पैकेजों में कार्य प्रगति पर है और मई, 2019 तक इसका कार्य पूरा होने की संभावना है ।

the year 2000 known as Phase I project. During Phase I, Mumbai JNPT Port Road Co Ltd. (SPV) was formed in year 2000 comprising of 03 stakeholders (i) NHAI (ii) JNPT & (iii) CIDCO. MJPRCL has undertaken 6/8 laning of Mumbai JNPT Port Road Connectivity project under 4 packages. The appointment date was declared on 16th May 2016 and the work is in progress in all four above packages and schedule date of completion is May 2019.

3) बुनियादी ढांचे का विकास

● यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनेप न्यास ने निम्नलिखित परियोजनाएँ हाथ में ली हैं :

● मौजूदा कंटेनर रोड को 'वाई' जंक्शन के पूर्व दिशा की ओर उत्तरी गेट परिसर तक चौड़ा बनाना । इस परियोजना की लागत 98.24 करोड़ है । कच्छ वनस्पतियों को हटाने के लिए वन अधिनियम के तहत अनुमोदन लेने की प्रक्रिया चल रही है ।

● कंटेनर रोड पर उत्तरी गेट परिसर के नजदीक फ्लाय ओवर का निर्माण :– यह कार्य दि.1 मार्च, 2017 को रु.127.45 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था । कार्य प्रगति पर है तथा कार्य समापन की निर्धारित तारीख मार्च 2020 है ।

● वाय जंक्शन पर फ्लाय ओवर का निर्माण :– यह कार्य दि.31 मार्च, 2017 को रु.82.95 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था । कार्य प्रगति पर है तथा कार्य समापन की निर्धारित तारीख अक्तूबर 2019 है ।

3 Infrastructure Development :

• To cater the trafic need, JNPT has taken up the following projects

• Widening of Existing Container Road towards East Side of 'Y' Junction to North Gate Complex. The Project cost is Rs.98.24 crores. The process of obtaining approval to removal of mangroves under Forest Act is in process.

• Construction of Fly Over near North Gate Complex on Container Road:- The work has been awarded on 1st March 2017 at a cost of Rs.127.45 crores. Work is in progress and scheduled completion date is March 2020.

• Construction of flyover at Y junction:- The work has been awarded on 31st March 2017 at a cost of Rs.82.95 crores. Work is in progress and scheduled completion date is Oct.2019.

4) पत्तनों का आधुनिकीकरण :–

● पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) का विकास :–

'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा देने के लिए ज ने पत्तन 277.38 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित कर रहा है । मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए रु.476 करोड़ की लागत पर अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण ठेका दि. 07.10.2016 को सौंपा गया है । कार्य प्रगति पर है तथा कार्य समापन की निर्धारित तारीख जून, 2019 है । 1.5 लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिति के साथ अपेक्षित निवेश रु.4000 करोड़ होगा ।

● सैटेलाइट पत्तन तथा ड्राय पत्तनों का विकास :–

औद्योगिक विकास तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज ने पत्तन ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाढवन में एक सैटेलाइट पत्तन का विकास करने की योजना बनाई है । इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जा रही है । इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सिड़को तथा मुंबई मैरीटाइम बोर्ड सहित एक विशेष उद्देश्य कंपनी बनाई गई है ।

4 Modernization of Ports:-

• Development of Port based SEZ:-

To give a fillip to the 'Make in India' campaign, JN Port has taken the lead to develop Port based SEZ in total area of 277.38 hectares. The EPC contract to develop basic infrastructure at cost of Rs. 476 Cr is awarded on 07.10.2016 and work is in progress and scheduled completion date is June 2019. The expected investment is to the tune of Rs.4000 crores with 1.5 lakhs direct and indirect employment generation.

• Developments of Satellite Port and Dry Ports:-

To boost industrial development and inclusive growth, JN Port has planned to develop a Satellite Port at Wadhwan, in Palghar District, Maharashtra. The work is in DPR Stage. A Special Purpose Vehicle was formed with CIDCO and Mumbai Maritime Board for implementing the project.

● देश के आंतरिक क्षेत्रों में यातायात को बढ़ावा देने के लिए जालना, वर्धा, नासिक तथा सांगली में ड्राय पोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जालना तथा वर्धा ड्राय पोर्ट का कार्य आरंभ हो चुका है। नासिक और सांगली ड्राय पोर्ट का कार्य योजना स्तर पर है।

5) अवसंरचना आरक्षित (टैम्प) :

पोत परिवहन मंत्रालय ने प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर नीति-निर्देश जारी किए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार रायल्टी/राजस्व का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा पत्तन की बुनियादी सुविधाओं को तैयार करने एवं उनको आधुनिक बनाने के लिए 5 वर्ष के अंदर निलंब लेखे में रखा जाना चाहिए। तदनुसार पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक टैम्प के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया है। किन्तु, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों, अर्थात 'महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण की नीति, 2015', जो 13 जनवरी, 2015 से प्रभाव में आई, के अनुसार ऐसी राशि प्रथक नियत करना आवश्यक नहीं है। इसलिए वित्त वर्ष 2015-16 से अवसंरचना आरक्षित के लिए कोई विनियोग नहीं किया गया है और 31.03.2015 को अवसंरचना आरक्षित में शेष रु. 1,012.96 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में वापस सामान्य राजस्व में दर्ज की गई।

6) 31 मार्च, 2018 तक जनेप न्यास में सैप (ई आर पी) कार्यान्वयन :

जनेप न्यास ने सॉफ्टवेयर के विकास, एकीकरण एवं पत्तन प्रचालनों के उन्नयन का कार्य रु. 29.65 करोड़ की कुल लागत पर 15 फरवरी, 2014 को मे. सी एम सी लिमिटेड (अब टीसीएस) को सौंपा था।

मे. सी एम सी लिमिटेड ने अपना कार्य 13 मार्च, 2014 को प्रारंभ किया। मे. टीसीएस ने सितंबर, 2015 में मे. सी एम सी को खरीद लिया था इसलिए अब टीसीएस द्वारा सैप (एक अग्रणी उद्यम संसाधन योजना) – जिसका अर्थ है सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोडक्टस इन डाटा प्रोसेसिंग को कार्यान्वित किया जा रहा है।मे. टीसीएस द्वारा जनेप न्यास में सैप का कार्यान्वयन आवश्यक सर्वरों, स्टोरेज, नेटवर्क के साथ किया जा रहा है तथा एक आधुनिकतम डेटा सेंटर भी बनाया जा रहा है। इससे नेविस टर्मिनल प्रचालन प्रणाली (टी ओ एस) के अलावा सभी मौजूदा एप्लीकेशनों के लिए एक साझा मंच पर एकीकृत समाधान तैयार हो सकेगा। जनेप न्यास ने परियोजना की नियमित निगरानी के लिए उच्च प्रबंधन स्तर पर संचालन समिति गठित की है एवं व्यावसायिक प्रक्रिया के साथ मौजूदा प्रक्रिया के मापन हेतु सभी विभागों/अनुभागों के प्रक्रिया विशेषज्ञों की सहायता द्वारा एक आधारिक (कोर) टीम बनाई है।

सैप कार्यान्वयन की स्थिति का संक्षप्ति विवरण :

सैप कार्यान्वयन के भाग के रूप में निम्नलिखित मॉड्यूल भिन्न तिथियों को क्रियान्वित किए गए हैं :

1 सामग्री प्रबंधन
2 वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण
3 रोगी प्रबंधन प्रणाली

● To boost the hinterland traffic, it has been decided to develop Dry Ports at Jalana, Wardha, Nasik & Sangali. The work at Jalna & Wardha is commenced. The dry Ports at Nasik & Sangali are at planning stage.

5 INFRASTRUCTURE RESERVE (TAMP)

The Ministry of Shipping, Road Transport and Highways had issued a policy direction to TAMP under section 111 of the MPT Act on revised guidelines for tariff fixation. As per the guidelines at least 50% of the royalty/revenue share should be maintained in an escrow account, for the purpose of creation and or modernization of Port infrastructure facilities within a period of five years. Accordingly Port has complied with the TAMP guidelines until financial year 2014-15. However, the new guidelines i.e. "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts 2015"issued by TAMP which came into effect from 13th January, 2015 are not mandating on setting aside such amount. Hence, from FY 2015-16 onwards no such appropriation has been carried out towards Infrastructure Reserve and the balance in Infrastructure Reserve as on 31.03.2015 i.e. Rs.1,012.96 Crs has been written back to General Reserves in FY 2016-17.

6 SAP (ERP) IMPLEMENTATION AT JNPT AS OF 31st Mar 2018

JNPT awarded the work of Software Development, Integration & Upgrade of Port Operations to M/s.CMC Limited (now TCS) at a total cost of Rs.29.65 Crs. on 15th February, 2014.

M/s.CMC Limited started their work from 13th March, 2014. M/s CMC was taken over by TCS in September 2015 and therefore now TCS is implementing SAP (one of the leading Enterprise Resource Planning) stands for System, Application, Products in Data Processing.

M/s TCS implementing SAP at JNPT along with required servers, storage, network and also making state of the art Data Centre. This will enable integrated solution for all the existing application on a common platform, other than NAVIS Terminal Operating System (TOS).

JNPT constituted Steering Committee for regular monitoring of the project at Senior Management Level and constituted Core Team assisted by Process Champions of all the departments/sections for mapping the existing process with Business Process

Brief on SAP Implementation Status

Following modules are implemented as part of SAP implementation on different dates

1 Material Management
2 FICO
3 Patient Management System

परियोजना के मुख्य उद्देश

पत्तन के आयात–निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता करने के अलावा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र एक संपोषणीय सामाजिक ढाँचे की परिकल्पना भी करता है । परियोजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाएगा –

- प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 1.5 लाख अवसर निर्मित करना
- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुशल श्रमशक्ति का विकास करना
- उद्यमशीलता के अवसर बढ़ाना
- विश्वस्तरीय औद्योगिक बुनियादी संरचना का निर्माण करना
- उत्कृष्ट आवसीय क्षेत्र उपलब्ध कराना

परिकल्पित परियोजना विकास की अवधारणा

इस प्रस्तावित विकास की परिकल्पना भारत के विकासशील क्षेत्रों, जैसे परिवहन, अभियांत्रिकी सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान एवं वस्त्र तथा अन्य बहुसेवा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर देते हुए एक पत्तन आधारित बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मित करने के लिए की गई है । यह प्रस्तावित औद्योगिक बुनियादी संरचना स्वत: पोषित एकीकृत विकास के रूप में नियोजित है ।

क्षेत्र का नाम	प्रमुख क्षेत्र
अभियांत्रिकी समूह	• भारी अभियांत्रिकी तथा मशीन औजार, टेक्सटाइल मशीनरी, सीमेंट मशीनरी, सामग्री प्रहस्तन उपस्कर • वाहन - यात्री तथा उपयोगिता वाहन, वाहनों के पुर्जे, कृषि मशीनरी
वस्त्र तथा परिधान	• संसाधित कपड़ों की सिलाई का (वस्त्र/परिधान) केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण	• उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक - मोबाइल फोन, टी.वी. म्यूजिक सिस्टम • औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - यूपीएस सिस्टम, एससीएडीए, पीएलसी, एसी, ड्राइव सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक घटक-सेमिकंडक्टर, सीआरटी, कैपेसिटर, पिक्चर ट्यूब
नवीकरणीय ऊर्जा	• नवीकरणीय ऊर्जा - जल, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सह-उत्पादन, जैव ऊर्जा
एफटीडब्ल्यूज़ेड / परिवहन केंद्र	• अं.कं.डिपो/कं.व. स्थानक (मल्टीमोडल गोदाम तथा पत्तन आधारित भण्डारण टैंक फार्म) नौवहन प्रचालन, पत्तन विकास परियोजनाएं, निकर्षण, पाइलटेज तथा नौकर्षण, हमाली, जहाज की मरम्मत
बहुसेवाएं/सूचना तकनीक आधारित सेवाएँ/ स्वास्थ्य	• सूचना तकनीक सेवाएं तथा सॉफ्टवेयर-आईटी आउट सोर्सिंग तथा तैयार सॉफ्टवेयर • हार्डवेयर - बाह्य उपकरण तथा नेटवर्किंग उपस्कर • चिकित्सा सेवा प्रदाता - औषध विशेषज्ञ क्लिनिक, परिचर्यागृह तथा अस्पताल, चिकित्सा पर्यटन, संविदा अनुसंधान संगठन • निदान सेवाएं - शारीरिक द्रवों के विश्लेषण सहित विश्लेषणात्मक या नैदानिक सेवाएं देने वाले व्यवसाय या प्रयोगशालाएँ • चिकित्सा बीमा सेवाएं - व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा तथा संरक्षण • बीमार पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति सेवा

Key Objectives of the Project

Besides aiding the Port's EXIM trade enhancement, the proposed Special Economic Zone also envisages a sustainable social framework. The project implementation shall be aimed to:

- Generate direct and indirect Employment opportunities to tune of around 1.5 lacs
- Nurture Skilled manpower to boost the trade
- Enhance Entrepreneurial opportunities
- Create World class industrial infrastructure
- Provide Premium residential neighborhood

Envisaged Project Development Concept

The proposed development is envisaged to be a Port Based Multiproduct Special Economic Zone, with a focus on collaborating upcoming sectors of India such as Logistics, Engineering Goods, Electronics, Apparels and Textiles and Multi Services Sector among others. The proposed industrial infrastructure is planned as a Self-Sustainable Integrated Development.

Sector Profile	Key Focus Area
Engineering cluster	• Heavy engineering and machine tools-Machine tools, textile machinery, cement machinery, material handling equipment • Automotives-Passenger and utility vehicle auto components, agriculture machinery
Textile and Apparel	• Stitching (Garment/apparel) assembly of processed fabric
Electronic Manufacturing	• Consumer Electronics-Mobile phones, TVs, Music system • Industrial Electronics- UPS system, SCADA, PLC, AC Drive system , Electronic Components-Semiconductors, CRTs, Capacitors, Picture Tubes
Renewal Energy	• Renewable energy-Hydro, Wind energy, Solar, Co-generation, Bio-energy
FTWZ / Logistics Centre	• ICD/CFS (Multimodal Warehouse and port based warehousing Tank farms), Shipping operation, Port development projects, Dredging, pilot age and towing, stevedoring, ship repair
Multi Services / ITES/ Health Care	• IT services and software-IT outsourcing and packaged software • Hardware-Peripherals and Networking equipments • Medical care providers-Physicians specialist clinics, nursing homes and hospitals, Medical tourism, Contract research organisations • Diagnostics Services-Business and laboratories offering analytic or diagnostic services including body fluid analysis • Medical Insurance Services-Health insurance and covers an individual's • hospitalization expenses and medical reimbursement facility incurred due to sickness

4 परियोजना प्रणाली
5 बिक्री तथा वितरण (बिलिंग)
6 मानव संसाधन तथा वेतन चिट्ठा
7 संयंत्र अनुरक्षण
8 सम्पदा
9 ग्रंथालय प्रबंधन
10 नौका प्रबंधन
11 आगंतुक प्रबंधन
12 फाइल प्रबंधन तथा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

कंटेनर टर्मिनल पारी कार्यालय, आईसीडी, योजना, पत्तन नियंत्रण तथा तरल कार्गो कार्यालयों में लॉग बुकों में प्रविष्टियाँ करने के लिए वेब इंटरफेस मॉड्यूल विकसित किया गया है।
ज.ने.प. न्यास ने 1 अप्रैल, 2018 से उपर्युक्त सभी मॉड्यूलों को क्रियान्वित करने की योजना बनाई है।

7 जनेप न्यास में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास

परिचय :

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के किसी महापत्तन में बनने वाला इस प्रकार का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है और राज्यमार्गों को कार्गो टर्मिनल से जोड़नेवाले पनवेलउरण मार्ग पर 277.38 हैक्टेयर में इसका विकास किया जाएगा।
यह क्षेत्र नवी मुंबई से लगभग 15 कि.मी. तथा मुंबई से लगभग 40 कि.मी. दूरी पर स्थित है। यह स्थान पत्तन से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4–ख तथा राज्यमार्ग 54 पर स्थित है और इन मार्गों को अब 6/8 लेन का बनाया जा रहा है।

प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का तथ्य पत्रक

परियोजना प्रस्तावक	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
परियोजना की अवस्थिति	न्हावा शेवा, ता. उरण, महाराष्ट्र
सीमांकित परियोजना क्षेत्र	277.38 हेक्टेयर
पहुँच मार्ग	मुंबई-गोवा राजमार्ग - रा.रा.4-ख तथा राज्यमार्ग 54 (पत्तन मार्ग) से सीधा प्रवेश
परियोजना के मुख्य विकास घटक	• प्रसंस्करण क्षेत्र (200.25 हेक्टेयर) • गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र (77.13 हेक्टेयर)
नियोजित उद्योग तथा क्षेत्रों का प्रकार	• मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र • अभियांत्रिकी सामान क्षेत्र • इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर क्षेत्र • अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र • बहुसेवा (सूचना तकनीक तथा स्वास्थ्य) क्षेत्र • परिधान एवं वस्त्र क्षेत्र
राज्य के प्रमुख विकास केंद्रों/नोड से दूरी	• जनेप न्यास (पत्तन प्रचालन क्षेत्र) - 4 कि.मी. • मुंबई - 60 कि.मी. • नवी मुंबई - 15 कि.मी. • पुणे - 150 कि.मी.
विकास का तरीका	अभियांत्रिकी, प्रापण, निर्माण (ईपीसी) तरीका
कुल अपेक्षित निवेश	4000 करोड़ रुपयों का सार्वजनिक तथा निजी निवेश
परिकल्पित कुल रोजगार निर्माण	प्रत्यक्ष रोजगार : 3000-4000 कर्मचारी अप्रत्यक्ष रोजगार : 1.25 लाख

4 Project Systems
5 Sales & Distribution (Billing)
6 HR & Payroll
7 Plant Maintenance
8 Real Estate
9 Library Management
10 Launch Management
11 Visitor Management
12 File Management & Document Management System

Web Interface module has been developed for making entries of log books at CT Shift Office, ICD, Planning, Port Control and Liquid Cargo.
JNPT is planning to implement all the above modules of SAP w.e.f 1st April 18.

7 DEVELOPMENT OF PORT BASED SPECIAL ECONOMIC ZONE IN JNPT

Introduction

The proposed Special Economic Zone at Jawaharlal Nehru Port is the first-of-its-kind at a major port complex in the country, and would be developed on 277.38 hectares of land along the Panvel-Uran road connecting the cargo terminals to state highways.The site is around 15 km from Navi Mumbai and around 40 kmfrom Mumbai city. The site is located along the NH 4B and SH54 connecting to the port and the roads are currently being expanded to 6/8 lanes.Fact Sheet of the Proposed Special

Fact Sheet of the Proposed Special Economic Zone

Project proponent	Jawaharlal Nehru Port Trust
Project Location	Nhava Sheva, Taluka Uran, Maharashtra
Demarcated Project Area	277.38 hectares
Approach Road	Direct access by Mumbai Goa Highway-NH4B and SH 54 (Port Road)
Key Development Components of the Project	• Processing Zone (200.25 Ha) • Non Processing Zone (77.13 Ha)
Type of Industries and Sectors planned	• Free Trade Warehousing Zone • Engineering Goods Sector • Electronics and Hardware Sector • Non-Conventional Energy Sector • Multi Services (IT and Healthcare) Sector • Apparel and Textiles Sector
Distance from Major Growth Centre/ nodes of the State	• JNPT (Port Operations Area) - 4km • Mumbai - 60 km • Navi Mumbai- 15 km • Pune - 150 km
Mode of Development	Engineering Procurement Construction (EPC) mode
Total Expected Investment	Public & Private investment of INR 4,000 Crore
Total Employment Generation envisaged	Direct Employment: 3,000-4,000 employees Indirect Employment: 1.25 lac

8 मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि.(एमजेपीआरसीएल) के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋण

जनेप न्यास ने मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि., जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों को 6/8 लेन का बनाने के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी है, को देने के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर का बाहरी वाणिज्यिक ऋण लिया है।

जनेप न्यास ने 31 मार्च, 2018 तक कुल 270.952 मिलियन अमरीकी डालर की राशि छ हिस्सों में प्राप्त की (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 79.495 मिलियन अमरीकी डालर और वित्तीय वर्ष 2017-18 में 191.457 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए) शेष 129.048 मिलियन अमरीकी डालर जुलाई, 2018 तक प्राप्त किए जाएँगे। आईआरएस को ऋण के पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रतिरक्षा के रूप में रखा गया है।

मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि.(एमजेपीआरसीएल) के साथ 5 मई, 2017 को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरंभिक 4 आहरणों की कुल 155.617 मिलियन अमरीकी डालर की राशि मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि.(एमजेपीआरसीएल) को दिनांक 8 अगस्त, 2017 को उधार दे दी गयी है जिसका मूल्य भारतीय मुद्रा में 1028.66 करोड़ है। 31 मार्च, 2018 तक प्राप्त शेष दो आहरण जिनकी कीमत 115.335 मिलियन अमरीकी डालर थी अगले वित्तीय वर्ष में 4 अप्रैल, 2018 को दी जा चुकी है ।

9 प्रस्तावित वाढवण पत्तन परियोजना लिमिटेड का विकास

जने पत्तन की 74% हिस्सेदारी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की 26% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक पत्तन विकसित करने के लिए वाढवण पत्तन परियोजना लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई गई । इसमें जनेप न्यास ने 48.10 लाख रुपये का अंशदान देकर वाढ़वण पत्तन परियोजना लिमिटेड की इक्विटी में 48.10 लाख रुपये का निवेश किया है।

10 जने पत्तन में तटीय घाट का निर्माण।

तटीय नौवहन को गति देने के लिए भारत सरकार ने हर महापत्तन में तटीय जलयानों के लिए घाट बनाने का निर्णय लिया है। यह घाट उथले हिस्से में होंगे जहां बड़े अंतरराष्ट्रीय जलयान नहीं आ पाते और जहां तटीय पोतों को लगाया जाएगा तथा कार्गो प्रहस्तन सीमाशुल्क और आप्रवास जैसी औपचारिकताओं से मुक्त होगा। इस आवश्यकता के अनुसार जनेप न्यास ने तुरंत भारत सरकार से 30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से उक्त परियोजना की योजना बनाई, शेष राशि जनेप न्यास के आंतरिक स्रोतों से ली जाएगी । उक्त में से 12.50 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान प्राप्त हुए । प्राप्त राशि को उसके लिए किए गए पूंजी व्यय से हटा दिया गया है।

इस से तरल और तटीय कार्गो प्रहस्तन में 2.5 मिलियन टन तक की वार्षिक क्षमता वृद्धि होगी। कार्य दिनांक 24 अप्रैल, 2017 से आरंभ हो चुका है और 18 प्रतिशत पूरा किया गया है।

8 EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS FOR ON-LENDING TO MJPRCL

JNPT has obtained External Commercial Borrowings (ECB) facility of USD 400 Million for On-lending to the Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL), a special purpose vehicle for implementation of road widening project comprising 6/8 laning of existing road connectivity to the Jawaharlal Nehru Port

JNPT availed six drawdowns till 31st March 2018 for aggregate amount of USD 270.952 Million (USD 79.495 Mn received in FY 2016-17 and USD 191.457 Mn received in FY 2017-18) remaining USD 129.048 Million will be drawn-down upto July, 2018. IRS has been hedged for full tenure of the loan.

Loan agreement has been signed with MJPRCL on 5th May, 2017. Aggregate amount of Initial 4 drawdowns, USD 155.617 Million has been lent to MJPRCL on 8th August, 2017 in equivalent Indian Currency INR 1028.66 Crore. Remaining two drawdowns received upto 31st March, 2018 for the aggregate amount of USD 115.335 Million has been lent in the next financial year on 4th April, 2018.

9 Development of proposed Vadhavan Port Project Limited

A company by the name of Vadhavan Port Project Limited with 74% share holding of JNPT and 26% share holding by Maharashtra Maritime Board was created to develop a port in Palghar District of Maharashtra. JNPT has contributed Rs.48.10 lakhs JNPT has invested Rs.48.10 lakhs in equity of Vadhvan Port Project Limited.

10 Construction of Coastal Berth at JN Port.

In order to give momentum to coastal shipping, Govt. of India has decided to have coastal vessel berth every major port which are to be located in the shallower portion where large international ships cannot come, to accommodate the coastal vessel wherein the cargo handling shall be free from custom and immigration formalities. Responding to this requirement, JNPT has immediately planned the subject project with financial assistance of Rs.25.00 Crores from Govt. of India rest from internal resources of JNPT. Out of this Rs, 12.50 Crs. was received during the year. The amount received has been set off from the capital expenditure incurred for the same.

This will add capacity of 2.5 million tons per annum for handling liquid & coastal cargo. The work commenced on 24th April 2017 and 18% work is completed.

11 मुंबई हार्बर चैनल और जने पत्तन चैनल को गहरा और चौड़ा बनाना (चरण–II)

वर्तमान में जने पत्तन ज्वार के समय 14 मीटर डुबाववाले अर्थात 6,000 टीईयू क्षमता वाले जलयानों का प्रहस्तन कर रहा है। दुनिया भर में कंटेनर कार्गो मात्रा में वृद्धि और कंटेनर वहन करने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि को देखते हुए जनेप ने चौड़े बीम और अधिक गहराई के 12,500 टीईयू क्षमता तक के जलयानों को स्थान देने के लिए मौजूदा चैनल को 14.00 से 15.00 मीटर तक गहरा तथा अधिक चौड़ा बनाने का निर्णय लिया है। परियोजना की अनुमानित लागत लागू सेवा कर सहित 2,306 करोड़ है। निकर्षण कार्य 2 सितंबर 2017 को शुरू हुआ और प्रगति पर है।

12 आयकर संबंधी मामले

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरणी निर्धारित तिथि के अंदर प्रस्तुत कर दी गई है।

विभिन्न वर्षो के लिए आयकर निर्धारण की स्थिति संक्षिप्त रूप से नीचे दी गई है :

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुम्बई ने दिनांक 30/09/2010 के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप कर में छूट की पात्रता का गुणदोष के आधार पर परीक्षण करने का निदेश दिया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने माननीय आयकर अपील अधिकरण द्वारा जारी निदेशों पर ध्यान न देते हुए नए सिरे से निर्धारण किया। जनेप न्यास ने उक्त आदेश के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की थी। मामले के जल्दी निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे के पास जल्द सुनवाई याचिका भी दायर की गई थी। उसके बाद मामले को, खासकर पिछले निर्धारण वर्ष की सुनवाई के लिए आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित कर दिया गया। आयकर आयुक्त (अपील) ने दि. 21.12.2015 को धारा 12एए के तहत पंजीकरण के परिणाम स्वरूप पत्तन को धारा 11 के तहत कर में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया। आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों, जिनके कारण पत्तन को काफी राशि वापिस मिल सकती थी; को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल के पास इस मामले के संबंध में नियमित अनुसरण किया गया था। लेकिन विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने पत्तन का मामला अचानक ही विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे के पास स्थानांतरित कर दिया और पत्तन को इस

11 Deepening and Widening of Mumbai Harbour Channel and JN Port Channel – Phase-II

At present, JN Port is handling vessels having a draft of 14 m i.e. 6,000 TEUs capacity by taking advantage of tidal window. With increase in container cargo volume and increase in capacity of container carrying vessels fleet worldwide, JN Port has decided to navigate new generation bigger size container vessels with wider beam and deeper drafts by widening and deepening of the existing channel further from 14.0 to 15.0 m draft with vessel capacity of 12,500 TEU. The estimated cost of the project is Rs.2306 Crs. including applicable service tax.
The dredging work commenced on 2nd September 2017 and is in progress.

12 Income Tax related matters

Income Tax Return for assessment year 2017-18 has been filed within the prescribed date during the year.
The income tax assessment status for the various years is summarized as below:

Assessment Year	Particulars
AY2003-04 to AY2005-06	The Hon'ble ITAT of Mumbai vide its order dated 30/09/2010 had directed the assessing officer to examine the matter, on merits, for eligibility to tax exemption as a result of the registration u/s. 12AA. However the assessing officer has done de-novo assessment without taking into consideration the directions issued by the Hon'ble ITAT. JNPT had filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the said order. Also, an early hearing petition was filed with the CCIT, Thane for early disposal of the case. Thereafter the case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing specifically for the erstwhile assessment years. The CIT (Appeals) passed order on 21-12-2015 granting tax exemption u/s.11 to the Port as a result of the registration u/s.12AA. The case was regularly followed up with DCIT, Panvel for giving effect to the CIT (Appeals) orders which would result in considerable refunds to the Port. However, the DCIT, Panvel abruptly transferred the Port's case records to DCIT (Exemptions), Pune without giving an opportunity to the Port for presenting its argument against the transfer.

	स्थानांतरण के विरुद्ध अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया। इस स्थानांतरण से नुकसान होने के कारण पत्तन ने मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिस पर 06/05/2016 को पहली सुनवाई होनी थी। मामले पर सुनवाई हुई तथा इसे 15/6/2016 तक स्थगित कर दिया गया। इस मामले में बाद में सुनवाईयां हुई तथा आयकर विभाग द्वारा यह दावा करते हुए शपथ पत्र दायर किया गया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पुणे में आयकर आयुक्त (छूट) का नया कार्यालय खोले जाने के कारण मामले का स्थानांतरण किया गया था। वे इस बात के लिए भी सहमत थे कि रिट याचिका पर निर्णय होने के तुरंत बाद आयकर आयुक्त, (अपील) औरंगाबाद के आदेश को प्रभावी किया जाएगा। तदनुसार पत्तन ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली। आयकर आयुक्त (छूट), पुणे ने आदेश पारित किया तथा जनेप न्यास को अक्तूबर, 2016 में रु. 313.40 करोड़ राशि वापस कर दी। कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी इसलिए इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील फिर से दायर की गई है।		argument against the transfer. Aggrieved by this the Port has filed a writ petition with Hon'ble Bombay High Court which was listed for admission hearing on 06-05-2016. The case was heard and the matter has been adjourned to 15-06-2016. Further hearings were held in the matter and income tax department filed an affidavit claiming that transfer of case records was as a result of creation of new charge of CIT (Exemptions) Pune by CBDT. They also agreed that order effect of CIT (Appeals), Aurangabad shall be passed immediately after the writ petition is decided upon. Accordingly, the writ petition was withdrawn by the Port. The CIT (Exemp), Pune passed the order effect and refund amounts of Rs.313.40 Crs were issued to JNPT in October, 2016. The matter has been further appealed with ITAT, Mumbai on certain issues which need to be decided upon.
निर्धारण वर्ष 2006-07 से निर्धारण वर्ष 2007-08	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्षो के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया। आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उल्लिखित आदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। मा. मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने दि. 08/06/2015 के आदेश द्वारा आयकर विभाग की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। बाद में आयकर विभाग ने दोनों वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। मामले पर वर्ष के दौरान विभिन्न तारीखों को सुनवाई होनी थी तथा मामला मा. सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।	AY2006-07 to AY2007-08	The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment years has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s.11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration u/s.12AA. The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the Hon'ble Bombay High Court in the said cases.The Hon'ble Bombay High Court has vide its order dated 08-06-2015 dismissed both the appeals of the Income Tax Dept. Further the Income Tax Dept. has filed appeals for both the years with the Hon'ble Supreme Court.The case was listed for hearing on various dates during the year and is pending with Hon'ble Supreme Court.
निर्धारण वर्ष 2008-09	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया। आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उल्लिखित आदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील	AY 2008-09	The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment year has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s. 11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration under s. 12AA. The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai

	दायर की। इसी बीच, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने मामले को पुन: शुरू कर दिया है । विभागीय आयकर आयुक्त ने इसके लिए दि. 15/03/2016 को आदेश जारी किया जिसके विरुद्ध पत्तन ने किए गए संवर्धनों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) ठाणे के पास अपील दायर की है ।
निर्धारण वर्ष 2009-10	जनेप न्यास ने आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुध्द माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील दायर की है । पत्तन उक्त निर्धारण वर्षों के लिए अपील के अतिरिक्त आधार दिखाकर धारा 11 के तहत छूट मांगने का प्रयास कर रहा है।
निर्धारण वर्ष 201O-11 तथा निर्धारण वर्ष 2011-12	जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्षो के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की है। उक्त निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए मामले को आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित किया गया था । आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त, पनवेल की ओर से किए गए संवर्धनों की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किए गए थे । पत्तन ने आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय आयकर अपील अधिकरण मुंबई के पास अपील दायर की है। पत्तन ने आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत उक्त निर्धारण वर्षों के लिए छूट मांगने की अपील के अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए हैं ।
निर्धारण वर्ष 2012-13	निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित किया गया था जिसमें धारा 80 आई ए के अधीन कटौती के दावे की अस्वीकृति का प्रमुख मुद्दा शामिल था। आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। जनेप न्यास द्वारा धारा 80 आई ए के दावे के समर्थन में आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज, मानचित्र, रिपोर्ट आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत किए गए । धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए । आयकर आयुक्त (अपील) के 21.12.2017 के आदेश के अनुसार जनेप न्यास की अपील को खारिज कर दिया । पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसके लिए सुनवाई का नोटिस आना बाकी है।
निर्धारण वर्ष 2013-14	जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध आयकर

	case. In meanwhile the case was re-opened by DCIT, Panvel u/s.148 of the IT Act. The order for the same was passed by DCIT on 15-03-2016 against which the Port has filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the additions made.
AY2009-10	JNPT has preferred appeal with the ITAT, Mumbai against the order passed by CIT (Appeals), Thane for the said assessment year against the additions made. For the said assessment year the Port is also trying to seek exemption u/s.11 by filing additional grounds of appeal.
AY2010-11 & AY2011-12	JNPT have preferred appeals with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. The case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing for the said assessment years. The orders were passed by CIT (Appeals) confirming the additions made by JCIT, Panvel. The Port has filed an appeal with ITAT, Mumbai against the said orders of CIT (Appeals), Aurangabad. For the said assessment years the Port has also filed additional grounds of appeal to seek exemption u/s.11 of the Income Tax Act.
AY 2012-13	Assessment order was passed by Assessing Officer wherein the major issue involved was disallowance of claim of deduction u/s.80IA. An appeal was filed before CIT(A). All the necessary documents, maps, reports which are in support to the claim of 80IA by JNPT was been furnished before CIT (A). Further additional ground was filed for the exemption u/s 11. CIT(A) vide order dated 21.12.2017 dismissed the appeal of JNPT. The port has filed an appeal before ITAT for which notice for hearing is yet to come.
AY 2013-14	JNPT have preferred appeal with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by

	आयुक्त, ठाणे के पास अपील दायर की है । पत्तन द्वारा आयकर अधिनियम 80 आई ए के तहत किया गया कटौती का दावा आयकर विभाग द्वारा खारिज किया गया है जिसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (ठाणे) के समक्ष अपील की गई थी। धारा 11 के अधीन छूट के लिए अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए गए । आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 21.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप न्यास की अपील को खारिज कर दिया गया। पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसके लिए सुनवाई का नोटिस आना बाकी है।
निर्धारण वर्ष 2014-15	विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे को मामले के हस्तांतरण के विरुद्ध पत्तन द्वारा दायर याचिका वापस लेने के बाद निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गयी थी । आवश्यक दस्तावेज और सबूत निर्धारण अधिकारी के पास जमा किए गए थे। विभागीय आयकर आयुक्त (छूट) (मुख्यालय), पुणे द्वारा धारा 143 (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित किया गया था । विभागीय आयकर आयुक्त के आदेश के खिलाफ दिनांक 25-01-2017 को आयकर आयुक्त (अपील), पुणे के समक्ष एक अपील दायर की गई है जिसमे धारा 11 के अधीन छूट के लाभ को अस्वीकार करना और धारा 80 आई ए के अधीन कटौती की अस्वीकृति और अन्य परिवर्धन जैसे मुद्दे शामिल हैं। आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 22.12.2017 के आदेश द्वारा जनेप न्यास की अपील को खारिज कर दिया गया । पत्तन ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है जिसके लिए सुनवाई का नोटिस आना बाकी है।
निर्धारण वर्ष 2015-16	28.12.2017 के निर्धारण आदेश द्वारा जनेप न्यास का धारा 80 आई ए के अधीन कटौती और धारा 11 के अधीन छूट का दावा नामंजूर किया गया था। पत्तन ने 20.01.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए 23.08 करोड़ की धन वापसी नवंबर 2017 में हुई ।
निर्धारण वर्ष 2016-17	वर्ष के लिए आयकर विवरणी 30 सितंबर,2016 को प्रस्तुत कर दी गई है। विवरणी का जांच निर्धारण 31.12.2018 को है।
निर्धारण वर्ष 2017-18	वर्ष के लिए आयकर विवरणी 29 सितंबर,2017 को प्रस्तुत कर दी गई है।

	(Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. Sec.80IA deduction claimed by Port has been disallowed by the IT Dept. which has been appealed before the CIT (Appeals), Thane. Further additional ground was filed for the exemption u/s 11. CIT(A) vide order dated 21.12.2017 dismissed the appeal of JNPT. The port has filed an appeal before ITAT for which notice for hearing is yet to come.
AY 2014-15	The assessment proceedings were resumed after the writ petition filed by the Port against the transfer of case records to DCIT (Exemptions), Pune was withdrawn. Necessary documents and supporting were submitted with the Assessing Officer. The assessment order u/s.143(3) was passed by DCIT (Exem)(HQ), Pune. An appeal has been filed with CIT (Appeals), Pune on 25-01-2017 against the order passed by DCIT. The issues involved are denying exemption benefit u/s.11, disallowance of deduction u/s.80IA and other additions. CIT(A) vide order dated 22.12.2017 dismissed the appeal of JNPT. The port has filed an appeal before ITAT for which notice for hearing is yet to come.
AY 2015-16	Assessment order dated 28.12.2017 wherein the claim of JNPT of deduction u/s 80IA and exemption u/s 11 was denied. Port has filed an appeal before CIT(A) on 20.01.2018. Refund of Rs.23.08 Crs. was received in Nov.2017 for A.Y.2015-16
AY 2016-17	The Income Tax Return for the year has been filed on 30th September 16. The return has been selected for scrutiny assessment which is due on 31.12.2018.
AY 2017-18	The Income Tax Return for the year has been filed on 29th September 17.

13 कर/अग्रिम कर के लिए प्रावधान

पत्तन ने वर्ष 2017-18 के दौरान ग्राहकों तथा संस्थानों द्वारा काटे गए स्रोत कर सहित रु.472.50 करोड़ के अग्रिम आयकर का भुगतान किया है। आस्थगित कर सहित रु.490.23 करोड़ के कर हेतु प्रावधान किया गया है।

14 पत्तन परिसम्पत्तियों का बीमा

सूनामी, चक्रवात आदि घटनाओं तथा मंत्रालय से प्राप्त निदेशों एवं भारतीय पत्तन संघ द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पत्तन ने एक स्वतंत्र मूल्यांकक से पत्तन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कराने के बाद मार्च, 2006 से एक विस्तृत पत्तन पैकेज नीति तैयार की है ।

विस्तृत पत्तन पैकेज नीति में निम्नलिखित बीमा रक्षा क्षेत्र आते हैं :-

1) भूकम्प जोखिम की पॉलिसी के साथ मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)

2)विस्तृत पत्तन पैकेज – सम्पत्ति

3) विस्तृत पत्तन पैकेज – देयता

4)विस्तृत पत्तन पैकेज–व्यापार व्यवधान
(एफएलओपी/एमएलओपी/पत्तन कामकाज में बाधा, मलबे की निकासी)

5)समुद्री पेटा – प्लवन नौकाएँ

6)निष्ठा गारंटी बीमा

7)इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर बीमा

8)निदेशक और अधिकारी देयता नीति

9)आतंकवाद से विशेष सुरक्षा

पत्तन परिसम्पत्तियों की बीमे की मौजूदा राशि लगभग रु. 2903.45 करोड़ है। वर्तमान व्यापक पत्तन पैकेज पॉलिसी को दि. 1.04.2017 से 30.06.2018 तक की अवधि के लिए सेवा–कर एवं मुद्रांक शुल्क सहित रू.3,85,63,586/– करोड़ की किस्त देकर नवीकृत किया गया । बीमा पॉलिसी को दि. 01/07/2018 से 30/06/2019 तक नवीकृत करने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है ।

15 भविष्य निधि, उपदान निधि एवं पेंशन निधि के लिए न्यास

आयकर अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए पृथक न्यासों का गठन किया गया है जो 31/03/2003 से प्रारंभ हुए :

क्रम. सं.	निधि का नाम	न्यास का नाम
1.	भविष्य निधि	ज. ने. पत्तन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
2	उपदान निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी उपदान न्यास
3	पेंशन निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन अधिवर्षिता न्यास

आयकर विभाग इन न्यासों को मान्यता दे चुका है और उपदान और

13 PROVISIONS FOR TAX / ADVANCE TAX

The Port has paid advance income tax amounting to Rs.472.50 Crs. including TDS deducted by customers & institutions during the year for A.Y. 2017-18. Provision for tax has been made for Rs.490.23 Crs. including deferred tax.

14 INSURANCE OF PORT ASSETS

In view of incidents like Tsunami, Cyclones, etc. and also directives received from Ministry as well as report of the Committee constituted by IPA, the Port finalized the Comprehensive Port Package Policy w.e.f. March, 2006 after valuation of certain Port's Assets by an Independent Valuer. The comprehensive Port Package Policy comprises of the following Insurance Cover:

1. Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township)
2. Comprehensive Port Package - Property
3. Comprehensive Port Package – Liability
4. Comprehensive Port Package – Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal).
5. Marine Hull – Floating Crafts.
6. Fidelity Guarantee Policy
7. Electronic Equipment Insurance
8. Directors & Officers Liability Policy
9. Standalone Terrorism cover

The current sum insured for the Port assets is around Rs.2903.45 crores. The current Comprehensive Port Package Policy was renewed w.e.f. 01.07.2017 to 30.06.2018 for a premium of Rs.3,85,63,586/- including service tax & stamp duty. The tender for renewal of insurance policy w.e.f. 01.07.2018 to 30.06.2019 is under process.

15 TRUSTS FOR PROVIDENT FUND, GRATUITY FUND & PENSION FUND

In order to comply with the provisions of Income Tax Act, separate Trusts were created with the approval of the Board in respect of the following and came into existence on 31.03.2003.

Sr. No.	Name of Fund	Name of the Trust
1	Provident Fund	JN Port Employees Provident Fund Trust
2	Gratuity Fund	JN Port Employees Gratuity Trust
3	Pension Fund	JN Port Superannuation Trust

The Income Tax Dept. has since granted recognition to

पेंशन के वार्षिक अंशदान से संबंधित राशियाँ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जा रही हैं । उपर्युक्त के अतिरिक्त पत्तन की छुट्टी नकदीकरण देयता भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जाती है । मंत्रालय ने दि. 19 मई, 2005 के पत्र सं.पीआर-24021/20/2004-पीजी के द्वारा उक्त व्यवस्था का 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन कर दिया है ।

these Trusts and amounts pertaining to Gratuity and Pension are being deposited with Life Insurance Corporation of India towards annual contribution based on the actuarial valuation. In addition to the above, Leave Encashment liability of the Port is also deposited with L.I.C. based on the actuarial valuation. Ministry vide letter No.PR-24021/20/2004-PG dated 19th May 2005 have granted 'in principle' approval to the above arrangement.

सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अंशदान

(करोड रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018 को आवश्यक निधि	निधि शेष	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	31.03.2018 को कुल योग	31.03.2018 को बकाया देयता	31.03.2018 को अवित्त पोषित देयता
1	पेन्शन निधि	1,294.78	1,282.51	-	1,282.51	-	12.27
2	उपदान निधि	92.74	102.97	-	102.97	-	(10.23)
3	छुट्टी नकदी-करण निधि	78.27	68.74	-	68.74	-	9.53
	कुल	**1,465.79**	**1,454.22**	**-**	**1,454.22**	**-**	**11.57**

इन निधियों के कारण 31.3.2017 को कुल देयता रु.1,465.89 करोड़ थी तथा इन निधियों का 31.3.2018 को कुल मूल्य रु.1,454.22 था । वर्ष के दौरान इन निधियों के लिए कोई अंशदान नहीं किया गया है क्योंकि इन में देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि शेष है ।

Contribution for Retirement Benefits

(Rs in Crs.)

Sr. No.	Particulars	Fund required as on 31.03.2018	Fund balance	Contribution made during the year	Total as on 31.03.2018	OSL as on 31.03.2018	Unfunded Liability as on 31.03.2018
1	Pension Fund	1,294.78	1,282.51	-	1,282.51	-	12.27
2	Gratuity Fund	92.74	102.97	-	102.97	-	(10.23)
3	Leave Encashment Fund	78.27	68.74	-	68.74	-	9.53
	Total	1,465.79	1,454.22	-	1,454.22	-	11.57

The total liability on account of these three Funds stood at Rs.1,465.79 Crs. on 31.03.2018 and the total value of these Funds stood at Rs.1454.22 Crs as on 31.03.2018. No contribution has been made towards these Funds during the year as the funds have sufficient balances to cover the liability.

16 टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराया :

तुलन-पत्र में परिलक्षित चिंता का प्रमुख क्षेत्र है टैंक फार्म प्रचालकों पर बकाया बड़ी राशि । जिन टैंक फार्म प्रचालकों की पट्टे की अवधि खत्म हो चुकी है जनेप न्यास ने उन्हें नोटिस जारी किया है। तदनुसार नवंबर, 2016 से उक्त टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराए और वे लीव प्रभारों के लिए बिलों की उगाही नहीं की गई है।

तत्पश्चात, मेसर्स रिलायंस और मेसर्स आईएमसी ने जनेप न्यास द्वारा बिलों की उगाही न करने के कारण मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के तहत आवेदन दायर किया है। मध्यस्थता अधिकरण ने जनेपन्यास को पार्टियों के अधिकार और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना निर्विवाद राशि के लिए बिलों की उगाही के निर्देश दिए हैं। तदनुसार, जनेप न्यास ने नवंबर, 2016 से निर्विवाद राशि के लिए बिल जारी किए हैं। दिनांक 31.3.2018 को वे-लीव, भूमिगत पाइपलाइन और जल शुल्क (एमजीटी को छोड़कर) के कारण कुल बकाया राशि 429.28 करोड़ है ।

न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के अर्थदण्ड के संबंध में तैयार किए गए बीजकों पर आपत्ति उठाई गई है तथा कुछ भी राशि नहीं मिल रही है इसलिए सारे मामले को उच्च न्यायालय को / मध्यस्थता के लिए भेजा गया है । उच्च न्यायालय / मध्यस्थता की कार्रवाही अभी भी जारी है। केवल न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के कारण ही टैंक फार्म प्रचालकों पर कुल बकाया राशि

16 LEASE RENTALS FROM TANK FARM OPERATORS

One of the major areas of concern reflected in the Balance Sheet is the huge out standings from Tank Farm Operators on account of Lease Rentals. JNPT had issued notices to the Tank Farm Operators whose lease period was over. Accordingly, the Bills for the said Tank Farm Operators towards lease rent and Way Leave charges was not raised from the month of November, 2016.

Subsequently, M/s. Reliance & M/s. IMC has filed the application under section 17 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961 for non-raising the bills by JNPT. The Arbitration tribunal has instructed JNPT to raise the bills for an undisputed amount without prejudice to the right and contentions of the parties. Accordingly, JNPT has issued the bills for the undisputed amount from November, 2016. The total outstanding on account of Way-Leave, Buried Pipeline and Water Charges, (Excluding MGT) as on 31.3.2018 Rs.429.28 Crores.

The invoices raised in respect of penalty for Minimum Guaranteed Throughput (MGT) have been disputed and no amount is forthcoming and the entire matter has been referred for High Court/arbitration.The High Court / arbitration proceedings are still in progress. The total amount due from Tank Farm Operators on account of MGT

31/3/2018 को रु.258.58 करोड़ निकलती है तथा जिसमें से रु. 143.46 करोड़ वर्तमान परिसम्पत्तियों का हिस्सा है।

17 बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज :

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार पत्तन को ग्राहकों से बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना होता है । तथापि टैंक फार्मों एवं अन्य मामलों में संपदा किराए की अधिकतर बकाया राशि विवादित है और मामले का निपटारा अभी होना बाकी है । जब मूलधन की राशि ही विवादित है तो उस पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना उचित नहीं समझा गया है । लेखाकरण मानक – 9 'राजस्व पहचान' के अनुसार यदि बिक्री या सेवाएं देते समय राजस्व के अंतिम संग्रहण में बड़ी अनिश्चितता हो तो आय की पहचान को स्थगित कर दिया जाता है तथा ऐसे मामलों में राजस्व को लेखे में तभी लिया जाना चाहिए जब यह ठीक तरह से निश्चित हो जाए कि अंतिम संग्रह किया जाएगा । तद्नुसार उक्त को संपदा किराया, टैंक फार्म एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के बकायों पर प्रभारित नहीं किया गया है।

18 बीओटी प्रचालकों को सौंपे गए शेड/अन्य परिसम्पत्तियाँ :

एपीएम टर्मिनल/जीटीआईपीएल के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार बल्क भंडारण शेडों को उन्हें सौंप दिया गया है जिन्हें यार्ड बनाने एवं अन्य सुविधाएँ तैयार करने के लिए नष्ट किया जा सकता है । इसके अलावा, कुछ अन्य परिसम्पत्तियाँ जैसे, वैगन लदाई प्लेटफार्म, कैन्टीन आदि भी उन्हें सौंप दी गई हैं । ये परिसम्पत्तियाँ उसी रूप में पत्तन को वापस प्राप्त नहीं होंगी, जिस रूप में उन्हें सौंपा गया था । उन्हें सौंपी गई अन्य परिसम्पत्तियों के साथ-साथ ऐसी परिसम्पत्तियों पर पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है। अत: इन परिसम्पत्तियों को निर्धारित परिसम्पत्तियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है एवं अलग से 'सुधार के लिए बीओटी प्रचालकों को सौंपे गए शेडों/परिसम्पत्तियों' के रूप में दिखाया गया है । सौंपे जाने के समय इन परिसम्पत्तियों का ह्रासित मूल्य रु.54.53 करोड़ था। इन परिसम्पत्तियों का समान किस्तों में 30 वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है । इनका परिशोधित मूल्य दिनांक– 31/03/18 को रु. 29.99 करोड़ है ।

इसी तरह एनएसआईसीटी के उत्तर की ओर 330 मीटर के कंटेनर घाट के विस्तार पर किया गया व्यय 31 मार्च, 2016 को 5.23 करोड़ रुपये था। उसे पट्टे की शेष अवधि में समान रूप से परिशोधित किया गया है और 31 मार्च 2018 को इन संपत्तियों का परिशोधित मूल्य 4.61 करोड़ रुपये है।

19 पत्तन ने अंतर टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालन में बिलिंग में अंतर के कारण 4.42 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ 12.22 करोड़ वसूलने के लिए जीटीआईपीएल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

20 मेसर्स एम एम निसिम एंड कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत

alone stands at Rs.258.58 Crores as on 31.03.2018 and of which Rs.143.46 Crores forms part of Current Assets.

17 PENAL INTEREST ON OUTSTANDING DUES

As per the directions of the Tariff Authority for Major Port, Port is to charge penal interest on outstandings from customers. However, in the case of Estate Rentals, both Tank Farm and others most of the outstandings are disputed and the matter is yet to be resolved. When the principal itself is disputed, charging penal interest on the principal has not been considered proper. As per the Accounting Standard-9, "Revenue Recognition", if at the time of rendering of services or sale there is significant uncertainty in ultimate collection of the revenue then the revenue recognition is postponed and in such cases revenue should be recognized only when it becomes reasonably certain that ultimate collection will be made. Accordingly the same is not charged on Estate Rentals, Tank farm & MGT outstanding.

18 SHEDS / OTHER ASSETS HANDED OVER TO BOT OPERATOR

As per terms of agreement with APM Terminal / GTIPL, Bulk storage sheds have been handed over to them which could be demolished for creation of yard and other facilities. In addition, certain other assets like wagon loading platform, canteens etc. have also been handed over to them. These assets will not revert back to the Port in the same form in which they were handed over. Lease rentals are being collected on such assets along with all other assets handed over. Hence, these assets have been removed from fixed assets register and shown separately as 'Sheds/Assets handed over to BOT operator for modification.' The WDV of these assets was Rs.54.53 Crs. at the time of handing over. These assets are being amortised equally over a period of 30 years. The amortised value of these assets as on 31.03.2018 is Rs.29.99 Crs.

Similarly expenditure incurred on account of extension of container berth towards north of NSICT by 330 metres was Rs.5.23 Crores as on 31ST March 16 , the same has been equally amortised over the remaining period of lease.and amortised value of these assets as on 31.03.2018 is Rs.4.61 Crs.

19 Port has file a legal suit against GTIPL to recover Rs.12.22 Crores along with interest of Rs.4.42 Crores on account of differential billing of Inter Terminal Rail Handling Operations.

20 Port has sent a Notice for Invocation of Arbitration as per

20 मेसर्स एम एम निसिम एंड कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पत्तन ने 27.38 करोड़ की संचयी बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2014 के अनुज्ञप्ति करार के खंड 23.3 के अनुसार मध्यस्थता के लिए मेसर्स जीटीआईपीएल को दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को नोटिस भेजा है।

21 संस्थापित और उपयोगित क्षमता :

प्रहस्तित यातायात और संस्थापित क्षमता का विवरण नीचे दिया जा रहा है

(मिलियन टनों में)

विवरण	संस्थापित क्षमता		वास्तविक रूप से उपयोगित क्षमता	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
ज.ने.प.कं.टर्मिनल (मुख्य घाट)	22.10	17.29	15.76	17.18
जीटीआईपीएल	23.70	26.40	24.89	21.78
एनएसआईसीटी	20.50	15.00	7.88	8.90
उथला घाट (ब.ट.)	1.30	1.30	1.34	1.25
उथला घाट (कं.ट.)	3.20	2.68	0.81	1.11
एनएसआईजीटी	10.30	10.00	8.28	5.55
बी.पी.सी.एल. (द्रव कार्गो घाट)	7.20	6.50	6.60	6.26
बी.एम.सी.टी.पी.एल	-	-	0.24	-
कुल योग	88.30	79.17	65.80	62.03

नोट: 1. लंगरगाह पर वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमश: 1,18,834 और 1,62,898 टनों का प्रहस्तन किया गया।
2. वर्ष 2017-18 में डी.पी.वर्ल्ड में 16,581 टन सीमेंट और 142 टन सामान्य कार्गो का प्रहस्तन किया गया।
3. बी.एम.सी.टी.पी.एल में 14,100 टन (क्रेन का भार) सामान्य कार्गो का प्रहस्तन किया गया।

22 आयातों का मूल्य (सीआईएफ) :

आयात का लागत, बीमा और भाड़े के आधार पर परिकलित मूल्य एवं विदेशी मुद्रा में व्यय नीचे दिए जा रहे हैं :

(करोड रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1	उपभोज्य तथा कलपुर्जे एवं पूंजीगत सामान	98.17	35.44
2	प्राप्त की गई सेवाएं (पूंजी एवं राजस्व कार्य)	4.00	3.14
3	प्रशिक्षण, दैनिक भत्ता, सम्मेलन व्यय, अनुरक्षण ठेके इत्यादि के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	0.14	1.38
4	सेवाओं-मध्यस्थता प्रभारों के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	-	0.40
5	आयातित एवं स्वदेशी उपभोज्य कलपुर्जों का मूल्य एवं कुल उपभोग में उसका प्रतिशत (करोड रुपयों में)	आयातित और स्वदेशी खपत अलग से उपलब्ध नहीं है। कुल 9.78 करोड 100.00%	आयातित और स्वदेशी खपत अलग से उपलब्ध नहीं है। कुल 9.00 करोड 100.00%
6	वर्ष में पूंजीगत लेखे से की गई और उसमें शामिल न की गई भंडार और सामग्री की कुल खरीद	शून्य	शून्य

20 Port has sent a Notice for Invocation of Arbitration as per Clause 23.3 of License Agreement dated 10th August 2014 on 5th April 2018 to M/s GTIPL for recovery of cumulative dues of Rs.27.38 Crores as per audit report submitted by M/s MM Nissim & Co for FY 2016-17

21 CAPACITY INSTALLED & UTILISED

The details of traffic handled and capacity installed is given below:

(In Million Tonnes)

Particulars	Capacity Installed		Capacity Actually Utilized	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
JNPCT (Main Berth)	22.10	17.29	15.76	17.18
GTIPL	23.70	26.40	24.89	21.78
NSICT	20.50	15.00	7.88	8.90
Shallow Water Berth BT	1.30	1.30	1.34	1.25
Shallow Water Berth CT	3.20	2.68	0.81	1.11
NSIGT	10.30	10.00	8.28	5.55
BPCL (Liquid Cargo Berth)	7.20	6.50	6.60	6.26
BMCTPL			0.24	-
Grand Total	88.30	79.17	65.80	62.03

Note: 1) 1, 18,834 tons and 1, 62,898 tons were handled during 2016-17 & 2017-18 respectively at anchorage.
2) 16,581 tons of cement and 142 tons of general cargo was handled at DP World in 2017-18
3) 14,100 tons (weight of cranes) of general cargo handled at BMCTPL.

22 VALUE OF IMPORTS (CIF)

The values of imports calculated on CIF basis and expenditure in foreign currency are given below:

Rs in Crores

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
1	Consumables & spare parts & Capital Goods	98.87	35.44
2	Services availed (Capital & Revenue Works)	4.00	3.14
3	Expenditure in foreign currency for Training, D.A., Conference expenses, Maintenance contracts etc.	0.14	1.38
4	Expenditure in foreign currency for services - Arbitration charges.	-	0.40
5	Value of imported & indigenous spare parts consumed and % to total consumption (Rs. in Crs.)	Imported & Indigenous Consumption Not Separately Available Total 9.78 Crs 100.00%	Imported & Indigenous Consumption Not Separately Available Total 9.00 Crs - 100.00%
6	Total purchase of stores and materials made on capital A/c during the year and not included in capital A/c.	NIL	NIL

23 लेखा-परीक्षकों को पारिश्रमिक :

(लाख रुपयों में)

विवरण	2017-18	2016-17
मुख्य महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षक के रुप में	25.51	20.15
कराधान मामले के लिए कर लेखा-परीक्षकों को	6.05	7.80
आंतरिक लेखा परीक्षक	4.10	5.73
प्रमाणन सहित प्रबंधन सेवा	26.95	20.81
योग	**62.61**	**54.49**

23 REMUNERATION TO AUDITORS

(Rs. In lakhs)

Particulars	2017-18	2016-17
As Auditors to CAG	25.51	20.15
Tax Auditors in respect of Taxation Matter	6.05	7.80
Internal Auditor	4.10	5.73
Management Services including Certification	26.95	20.81
Total	**62.61**	**54.49**

24 कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर किए गए व्यय का विवरण :

कोटि	दि.31.03.2018 को	दि.31.03.2017 को
श्रेणी		
I	179	188
II	49	46
III	1247	1287
IV	92	94
योग	**1567**	**1615**
कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक (करोड रुपयों में)	**258.68**	**245.97**

24 DETAILS OF STAFF STRENGTH AND EXPENDITURE INCURRED THEREON

Category	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
Class		
I	179	188
II	49	46
III	1247	1287
IV	92	94
Total	**1567**	**1615**
Annual remuneration to Employees (Rs. In Crs.)	**258.68**	**245.97**

25 अनिवार्य मदों पर किया गया व्यय

(करोड रुपयों में)

विवरण	2017-18	2016-17
भंडारों तथा कलपुर्जों की खपत	9.77	9.00
बिजली ईंधन, तेल एवं जल	123.39	126.61
लघु कार्यों सहित मरम्मत एवं अनुरक्षण	35.52	31.66
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	258.68	245.96
कर्मचारी कल्याण व्यय	15.27	17.61
चिकित्सा व्यय	18.87	16.54
बीमा	2.63	3.55
आय पर करों को छोडकर दरें एवं कर	0.01	0.14
सामान्य व्यय	33.19	38.69

25 EXPENDITURE ON CERTAIN ITEMS

(Rs in Crs.)

Particulars	2017-18	2016-17
Consumption of stores and spares	9.77	9.00
Power, Fuel, Oil & Water	123.39	126.61
Repairs & Maintenance incl Minor Works	35.52	31.66
Salaries wages and bonus	258.68	245.96
Employee welfare expenses	15.27	17.61
Medical Expenses	18.87	16.54
Insurance	2.63	3.55
Rates and Taxes excluding taxes on income	0.01	0.14
General Expenses	33.19	38.69

26 31 मार्च, 2018 को आकस्मिक देयताएँ :

1. विभिन्न ठेकेदारों के ऐसे दावे जो मध्यस्थता/मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हैं एवं जिन्हें लेखों में देयताओं के रूप में नहीं दिखाया गया है, वे प्रधान कार्यों के लिए 17.10 करोड़ रुपये और राजस्व कार्यों के लिए 10.42 करोड़ रुपये हैं।

2. मुकदमेबाजी के अंतर्गत लवण पटल भूमि के लिए रु. 25.00 करोड़ के क्षतिपूर्ति के दावे ।

ग) हनुमान कोलीवाड़ा के दूसरे पुनर्वास पर रु. 5.69 करोड़ का किया गया व्यय ।

घ) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए 12.5 प्रतिशत योजना के अंतर्गत 111 हेक्टेयर भूमि के विकास की लागत सहित कुल लागत लगभग रु. 212.34 करोड़ है, क्योंकि अभी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

26 CONTINGENT LIABILITIES AS ON 31ST MARCH 2018

a) Claims from the various contractors which are under Arbitration/ litigation/dispute and which are not provided in the books as liabilities works out to Rs. 17.10 Crores towards capital work and Rs.10.42 crores towards revenue works.

b) Compensation claimed for Saltpan land under litigation is Rs.25.00 Crs.

c) Expenditure on 2nd rehabilitation of Hanuman Koliwada amounting to Rs. 5.69 Crs.

d) The total cost inclusive of development of 111 hectares of land under 12.5% Schemes for PAP approved by Goverment of Maharashtra is Rs. 212.34 Crs. and expenditure of Rs. 82.86 Crs. was incurred during FY 2017-18. Contracts for the remaining works are being awarded in FY 2018-19.

27 विशेष उद्देश्य कम्पनी :

ज.ने. पत्तन का सड़क सम्पर्क सुधारने के लिए जनेप न्यास ने सिडको, महाराष्ट्र सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है । तद्नुसार, मुंबई – ज.ने. पत्तन सड़क कम्पनी के नाम से एक विशेष उद्देश्य कम्पनी प्रारंभ की गई जिसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। जनेप न्यास ने विशेष उद्देश्य कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 26.91% से 51% तक बढ़ाने के लिए मई, 2017 में रु.35.91 करोड़ का भुगतान किया है।

28 मुरगांव पत्तन न्यास को वित्तीय सहायता :

मंत्रालय ने मुरगाँव पत्तन न्यास को रु.300 करोड़ का अंतर–पत्तन ऋण देने के लिए दि. 21/10/2013 के पत्र सं.16(17)2012–पीडी–VII के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी जिसमें से जनेप न्यास का हिस्सा रु.200 करोड़ है। ब्याज की दर 10% है तथा अधिस्थगन अवधि 2 वर्ष या कम से कम 10 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात पूर्ण होने तक है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पत्तन ने मुरगाँव पत्तन न्यास को रु. 40 करोड़ का अग्रिम दिया है। उसमें से रु. 15 करोड़ की किस्त के मामले में दो साल की अधिस्थगन अवधि पूरी हो चुकी है और मूल पुनर्भुगतान के लिए किस्त पत्तन को प्राप्त हो गई है । ब्याज समेत 15 करोड़ की पूरी राशि भी अप्रैल, 2017 में चुकाई जा चुकी है और देय ब्याज समेत शेष राशि भी 23 अक्तूबर 2017 को मुरगाँव पत्तन न्यास से प्राप्त हो गई है।

29 ज.ने.प. न्यास के कंटेनर वहन स्थानक तथा बफर यार्ड के लिए लाइसेंस :

मेसर्स सी डब्लू सी को दिए गए पूर्व के लाइसेंस की दि. 31/12/2005 को समाप्ति पर जने पत्तन के कंटेनर वहन स्थानक एवं बफर यार्ड के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए नया लाइसेंस मे. स्पीडी मल्टीमोड्स लि. (पूर्व नाम स्पीडी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. (एसटीपीएल)) मुंबई को 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया जिसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है । इस करार में सौंपी गई परिसम्पत्तियों के पट्टे किराए के भुगतान एवं लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार प्रहस्तित टीइयू के लिए रायल्टी का प्रावधान है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पट्टा किरायों, रायल्टी एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय में कमी के कारण जनेप न्यास को मेसर्स एसएमएल से प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप से है :

(करोड रुपयों में)

विवरण	2017-18	2016-17
रायल्टी	7.44	6.33
पट्टा किराए	20.00	19.05
न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय (एम जी टी) में कमी (रायल्टी में समाहित)	1.14	2.34

27 SPECIAL PURPOSE VEHICLE

JNPT has executed a memorandum of understanding with CIDCO, Govt. of Maharashtra and National Highway Authority of India for providing road connectivity to JN Port. Accordingly, a special purpose vehicle has been floated under name and style of Mumbai-JNP Port Road Co. Ltd. having its registered office in the State of Delhi. JNPT has paid a sum of Rs.35.91 Crs in May, 2017 towards increase in shareholding from 26.91% to 51% in the Special Purpose Vehicle.

28 FINANCIAL ASSISTANCE TO MORMUGAO PORT TRUST (MGPT)

Ministry conveyed the approval of Competent Authority vide 16(17)2012-PD-VII dated 21.10.2013 for an inter-port loan of Rs.300 Crs. to Mormugao Port Trust out of which share of JNPT is Rs.200 Crs. The rate of interest is 10% and moratorium period of 2 yrs or till export of iron ore of at least 10 million tonnes is achieved.

Till FY 2015-16, the Port has advanced Rs.40 Crs to Mormugao Port Trust. Out of the same the moratorium period of 2 years in case of instalment of Rs.15 Crs has been completed and instalments towards principal repayment of the same have also been received by the Port. The entire amount of Rs.15 Crs alongwith interest has also been repaid in April, 2017 and balance amount alongwith interest due has been received from MGPT on 23rd October 2017.

29 LICENSE IN RESPECT OF CFS & BUFFER YARD OF JNPT

On expiry of earlier license awarded to M/s CWC on 31/12/2005, a fresh license for Management, Maintenance & Operations of CFS & BY of JNP was awarded to M/s. Speedy Multimodes Ltd. (formerly known as Speedy Transport Pvt Ltd, (STPL)), Mumbai, for a period of 20 years, further extendable by 10 years. The Agreement provides for payment of lease rentals for assets handed over, and royalty for TEUs handled as per conditions of License Agreement. The amounts which accrued in JNPT from M/s SML, during the Financial year 2017-18 towards lease rentals, royalty and shortfall in MGT as per conditions of License are as follows :

(Rs in Crs.)

Particular	2017-18	2016-17
Royalty	7.44	6.33
Lease rentals	20.00	19.05
Shortfall in MGT (included in Royalty)	1.14	2.34

30 धारा 80 आई.ए. के दावे :

पत्तन ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं के लिए कर में लाभ पाने के लिए आवेदन किया है ;

क) मे. गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया प्रा. लि.
(एपीएम टर्मिनल/जीटीआइपीएल) से अर्जित राजस्व ।
ख) सितम्बर 2011 में खरीदकर संस्थापित की गई तीन रेल माउंटेड की क्रेनें (आरएमक्यूसी) ।
ग) वर्ष 2006-07 में खरीदकर संस्थापित की गई दो रेल माउंटेड गंत्री क्रेनें (आरएमजीसी) ।
घ) वर्ष 2013-14 में संस्थापित की गई एक रेल माउंटेड की क्रेन (आरएमकयूसी) तथा एक रेल माउटेंड गत्री क्रेन (आरएमजीसी) ।

31 निगमित सामाजिक दायित्व निधि का सृजन :

पत्तन गतिविधियों से समाज पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक – 2 दिसंबर, 2011 के परिपत्र सं. पीडी–25021/10/2011–पीडी.II द्वारा सभी पत्तनों को निदेश दिया कि यदि पिछले वित्त वर्ष में निवल लाभ रु. 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो वे निगमित सामाजिक दायित्व की गतिवधियों के लिए 0.5 से 2.0 प्रतिशत तक की राशि उपलब्ध करवाएँ । मण्डल संकल्प सं. 89, दिनांक 15.01.2016 के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व निधि का सृजन करने का संकल्प किया गया ।

दिनांक 01.04.2017 को निगमित सामाजिक दायित्व निधि में रु. 37.71करोड़ की राशि शेष थी जिसमें से रु. 27.65 करोड़ की राशि निगमित सामाजिक दायित्व के लिए मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 19.05 करोड़ की राशि निगमित सामाजिक दायित्व निधि के लिए विनियोजित की गई है।

32 जनेप न्यास के करमुक्त बान्ड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दि.6 नवम्बर,2012 की अधिसूचना सं.46/2012एफ सं.178/60/2012(आईटीए–1) द्वारा जनेप न्यास को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के तहत सुरक्षित करमुक्त प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बॉन्ड जारी करके अधिकतम रु.2000 करोड़ तक की राशि उगाहने के लिए प्राधिकृत किया।

पोत–परिवहन मंत्रालय ने दि.12 नवम्बर,2012 के अपने पत्र सं.पीडी–24015/1/2012– पीडी.III के द्वारा जनेप न्यास को करमुक्त बॉन्डों को जारी करने की मंजूरी दी तथा दि. 4 जनवरी, 2013 के पत्र सं.पीडी–11015/25/2012–पीडी. VI के द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 66(3) के संबंध में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रु. 2000/- करोड़ के बॉन्डों को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी ।

आवश्यकताओं के अनुसार बॉन्ड जारी करते समय उनका सुरक्षा निर्धारण

30 SECTION 80IA CLAIMS

The Port has made an application during the year for availing Tax benefit u/s 80IA of the Income Tax Act for the following infrastructure facilities :-

a) Revenue earned from M/s Gateway Terminals of India Private Limited (APM Terminal / GTIPLs).
b) Three Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) purchased and installed in September 2011.
c) Two Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) purchased and installed in 2006-07.
d) One Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) and one Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) installed in 2013-14.

31 CREATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND (CSR FUND)

The Ministry of Shipping circular No.PD-25021/10/2011-PD.II dated 2nd December, 2011, considering the economic, social and environmental impact of the activities of the Ports on the society and the environment, has directed all Ports to provide for CSR activities ranging from 0.5% to 2.0% if the net profit in the previous financial year is Rs. 500 Crs. & above. As per Board Resolution no.89/15.01.2016, it was resolved that a CSR Fund may be created as per the guidelines issued by the Ministry of Shipping.

The balance in CSR Fund as on 01.04.2017 was Rs. 37.71 Crs. Out of the same Rs.27.65 Crs have been expended towards CSR activities on various projects approved by Board. During the year 2017-18, an amount of Rs.19.05 Crs has been appropriated towards CSR Fund.

32 TAX FREE BONDS OF JNPT

Central Board of Direct Taxes vide Notification No.46/2012.F.No.178/60/2012(ITA.1) dated 6th November 2012 authorized JNPT to raise an aggregate amount not exceeding Rs.2000 crore through the issue of secured tax free redeemable non-convertible bonds under Section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act, 1961.

Ministry of Shipping vide their letter No.F.No.PD-24015/1/2012-PD.III dated 12th November 2012 sanctioned issue of Tax Free Bonds by JNPT and vide letter No.PD-11015/25/2012-PD.VI dated 4th January 2013 conveyed the approval of the competent authority for issue of bonds of Rs.2000 Crs. as per the terms and conditions specified under Department of Revenue, Ministry of Finance Notification in terms of Section 66(3) of Major Port Trust Act, 1963.

मेसर्स क्रिसिल एवं मे. ब्रिकवर्क रेटिंग इं.प्रा.लि. द्वारा किया गया । बॉन्डो पर ब्याज के भुगतान एवं पूंजी की वापसी के संबंध में अधिकतम सुरक्षा दर्शाते हुए मेसर्स क्रिसिल द्वारा ए.ए.ए. और मे.ब्रिकवर्क द्वारा 'ए.ए.ए.' (जिसका उच्चारण बी.डब्लू.आर.ट्रिपल ए भी किया जाता है) सुरक्षा निर्धारण किया गया है तथा उनके द्वारा की गई निगरानी के अनुसार बाद में भी यह स्तर कायम रहा ।

जनेप न्यास द्वारा करमुक्त बॉन्ड के निर्गम को दि.15 फरवरी, 2013 के एस ओ सं.378/ई द्वारा भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया था।

फिर प्राप्त आवेदनों/बोलियों के तकनीकी रूप से खारिज होने को ध्यान में रखने के बाद रु. 41,31,96,000/– राशि के 413196 बॉन्ड आबंटित किए गए । बॉन्ड 26 मार्च, 2013 को आंबटित किए गए थे एवं राशि विभिन्न वसूलीकर्ता बैंकरों से हमारे वसूली लेखे में स्थानांतरित हुई ।

बाँड सूचीबध्द करने के आवेदनों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया तथा बॉन्डों को 3 अप्रैल, 2013 को सूचीकृत किया गया ।

चूंकि जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा जारी बॉन्ड सुरक्षित प्रकृति के हैं, इसलिए जसखार गाँव की सर्वे सं. 284 के अंतर्गत आने वाली तथा उप–निबंधक, उरण के यहाँ पंजीकृत पत्तन की कुल 1.75 हेक्टेयर भूमि का पत्तन के डिबेंचर ट्रस्टी एस बी आई कैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के पास बंधक विलेख दर्ज किया गया।

सेबी को दिए गए आश्वासनों के अनुसार डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि बनाई गई है । 10 वें वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदान देयता की पूर्ति के लिए रु. 41.32 करोड़ की राशि आरक्षित निधि के रूप में अलग रखी गई है ।

वर्ष के दौरान रु. 2.89 करोड़ का ब्याज अदा किया गया है । पत्तन इस बांड निर्गम से संबंधित सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन कर रहा है ।

33 पत्तन के स्वामित्व में कुल 7249.36 एकड़ भूमि है जिसमें से 261.36 एकड़ पत्तन के नाम पर नहीं है। तहसीलदार– उरण तालुका, जिला कलेक्टर रायगड़ और सिडको के साथ समन्वय कर के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसे जनेप न्यास के नाम पर हस्तांतरित किया जा सके।

34 प्रस्तुतीकरण में एकरूपता तथा समानता बनाए रखने के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/फिर से तैयार किया गया है।

ह.
(संजय गांगण)
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह
(नीरज बंसल,भा.रा.से.)
प्रभारी अध्यक्ष

As per requirements the Bond Issue rating was done by M/s. CRISIL and M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd. The bonds have been rated 'AAA' by M/s. CRISIL and "BWR AAA (Pronounced BWR Triple A)" indicating highest safety with regard to payment of interest and return of capital and ratings have been maintained subsequently also as per surveillance carried out by them.

Issue of Tax Free Bonds by JNPT was also notified in the Gazette of India vide SO No.378/E dated 15th February 2013.

Further taking into account technical rejection for applications/bids received 413196 bonds were allotted aggregating to Rs.41,31,96,000/-. The Bonds were allotted on 26th March 2013 and money transferred to our collection account with various collecting bankers.

Listing applications were filed with Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange and bonds were listed on 3rd April 2013.

As bonds issued by JNPT are secured, Mortgage Deed was entered into with SBICAP Trustee Company Ltd, our Debenture Trustee for land aggregating to 1.75 hectares under Survey No. 284 of Jaskhar Village and registered with Sub-Registrar, Uran.

Debenture redemption reserve has been created as per the assurance given to SEBI. An amount of Rs. 41.32 Crs. has been set apart as reserve for meeting the redemption liability at the end of the 10th year.

Interest amounting to Rs. 2.89 Crs. was paid during the year. Port is fully complying with all the statutory requirements related to this Bond Issue.

33 Total land in the possession of the Port is 7249.36 acres out of which 261.36 acres is not in the name of the Port. Efforts are being made in co ordination with Tahsildar, Uran Resident District Collector Raigad and CIDCO to get it transferred in the name of JNPT.

34 Previous Years figures have been regrouped / recast wherever necessary to have consistency and uniformity in presentation.

sd
(SANJAY GANGAN)
CHIEF MANAGER (FINANCE)

Sd
(NEERAJ BANSAL, IRS)
CHAIRMAN I/c

यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोडा गया है।
This page is kept intentionally blank

वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा

Financial Performance Profile

2017-18

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

2017-18 के वित्तीय मुख्य अंश / Financial Highlights for 2017-18

वर्ष 2017 में पत्तन की प्रचालनीय आय 2016-17 की 1700.97 करोड से बढकर रु. 1890.88 करोड हो गई। वर्ष 2017-18 का प्रचालनीय व्यय रु. 751.24 करोड रहा जबकी पिछले वर्ष 2016-17 का रु.804.97 करोड था. वर्ष 2017-18 का प्रचालनीय लाभ रु. 1139.64 करोड रहा जबकि पिछले वित्तीय वर्ष का रु. 896.00 करोड था। कर पूर्व लाभ 2016-17 के 1344.74 करोड से बढकर वर्ष 2017-18 में 1442.27 करोड हो गया। कर के बाद निवल लाभ 2016-17 के रु. 879.32 करोड से बढकर 2017-18 में रु. 952.04 करोड हो गया ।

The Operating Income of the Port increased to ₹ 1890.88 Crores in 2017-18 from ₹. 1700.97 Crores in 2016-17. The Operating Expenditure in 2017-18 was ₹ 751.24 Crores as against ₹. 804.97 Crores in 2016-17. The Operating Profit in 2017-18 is ₹ 1139.64 Crores against ₹ 896.00 Crores in the Previous Financial year. The Profit before Tax in 2017-18 has increased to ₹ 1442.27 Crores from ₹. 1344.74 Crores in 2016-17. The Net Profit after Tax in 2017-18 has increased to ₹ 952.04 Crores from ₹. 879.32 Crores in 2016-17.

पत्तन के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए है :

The Summarised Financial Results of the Port are furnished below:

(₹ करोड रुपयो में / in Crores)

Sl. No.	Description	2017-18	2016-17
1	प्रचालनीय आय/ Operating Income	1,890.88	1,700.97
2	प्रचालनीय व्यय/Operating Expenditure	751.24	804.97
3	प्रचालनीय लाभ/Operating Profit (1-2)	1,139.64	896.00
4	वित्त एवं विविध आय/Finance & Misc. Income	345.46	461.46
5	वित्त एवं विविध व्यय/Finance & Misc. Expenditure	45.14	16.53
6	निवल पूर्व अवधि प्रभार/Net Prior Period Charges	(2.31)	(3.81)
7	कर पूर्व लाभ/Profit before Tax	1,442.27	1.344.74
8	कराधान हेतु प्रावधान/Provision for Taxation	490.23	465.42
9	Net Profit / निवल लाभ	952.04	879.32

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

2017-18 में कुल आय का उपयोग कैसे हुआ (प्रकार के अनुसार व्यय)
UTILISATION OF TOTAL INCOME IN 2017-18 (BY TYPE WISE EXPENSES)

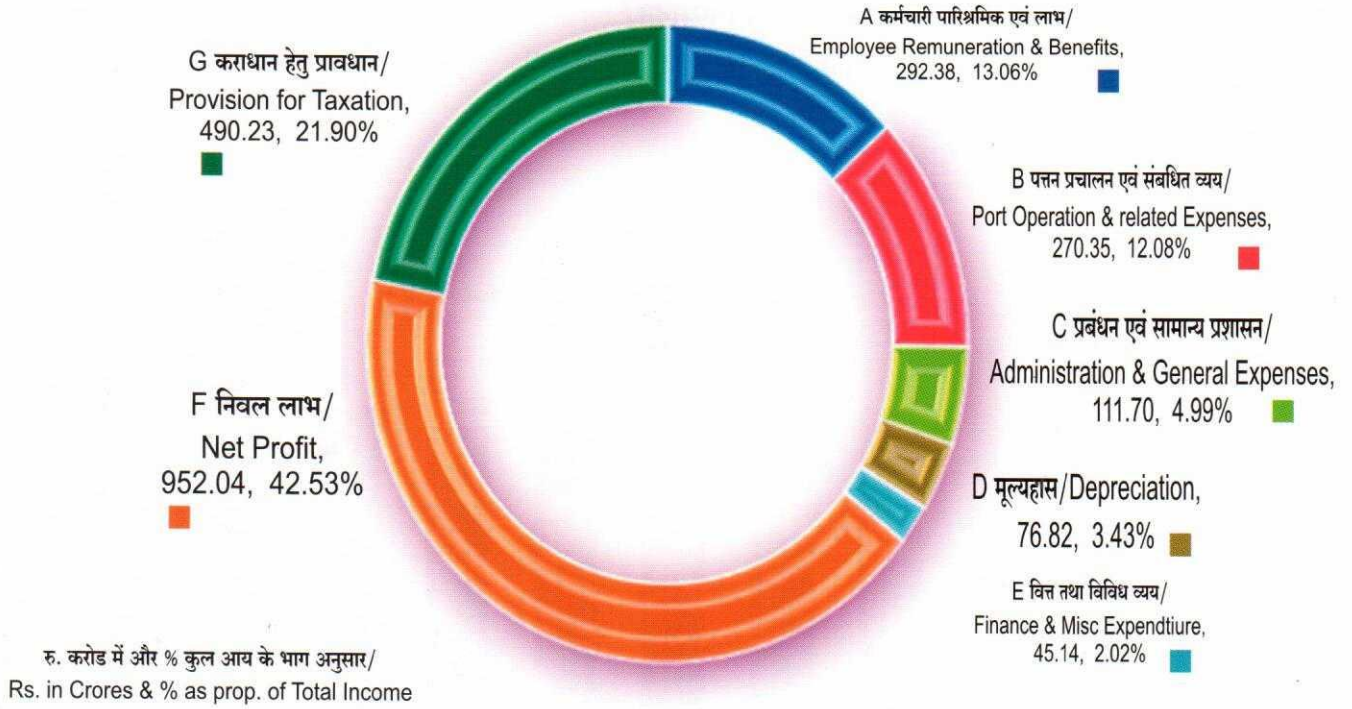

रु. करोड में और % कुल आय के भाग अनुसार/
Rs. in Crores & % as prop. of Total Income

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

2017-18 में कुल आय का उपयोग कार्यात्मक विभाग द्वारा
UTILISATION OF TOTAL INCOME IN 2017-18 BY FUNCTIONAL DEPARTMENT

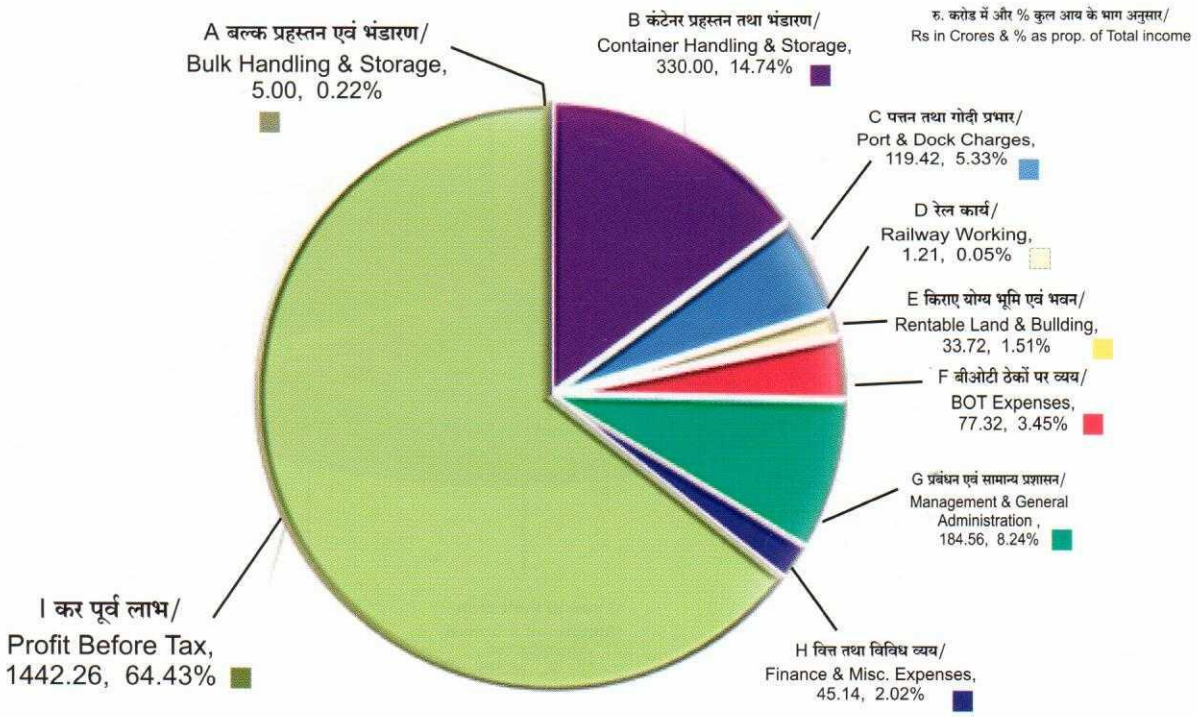

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

में कुल व्यय 2017-18 की रचना
COMPOSITION OF TOTAL EXPENDITURE 2017-18

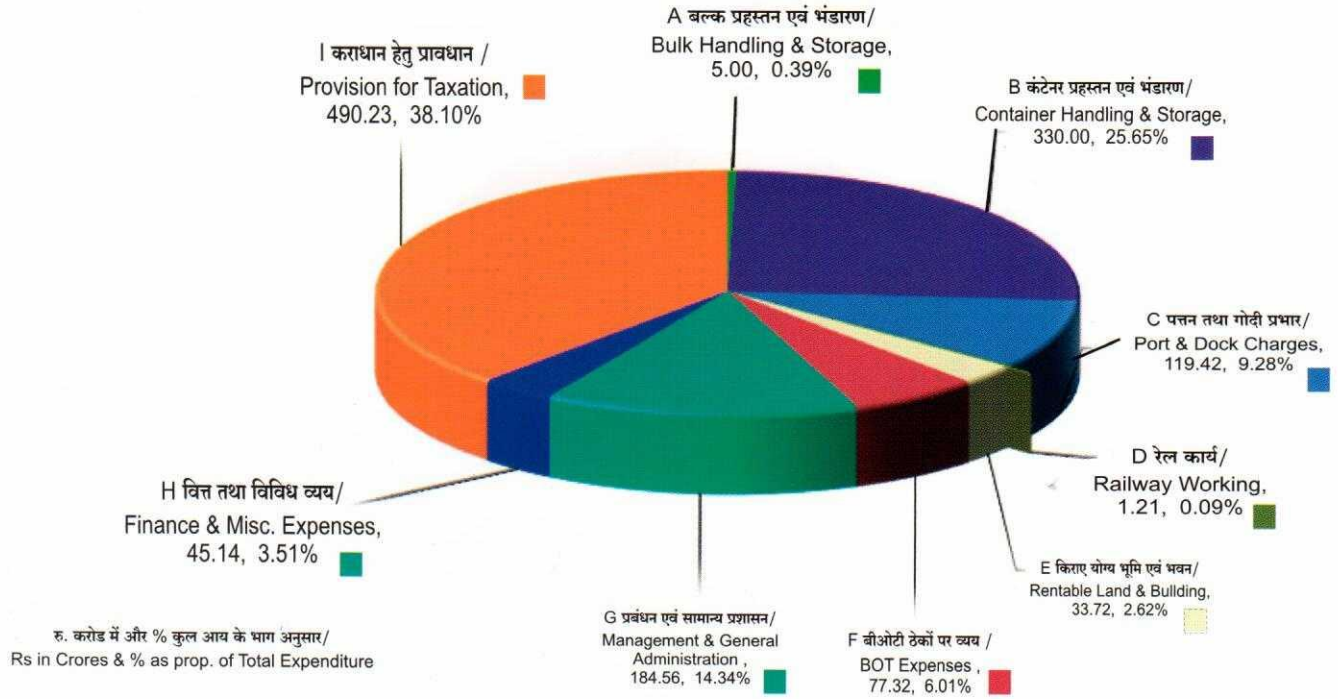

रु. करोड में और % कुल आय के भाग अनुसार/
Rs in Crores & % as prop. of Total Expenditure

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

में कुल आय का संयोजन वर्ष 2017-18
COMPOSITION OF TOTAL INCOME 2017-18

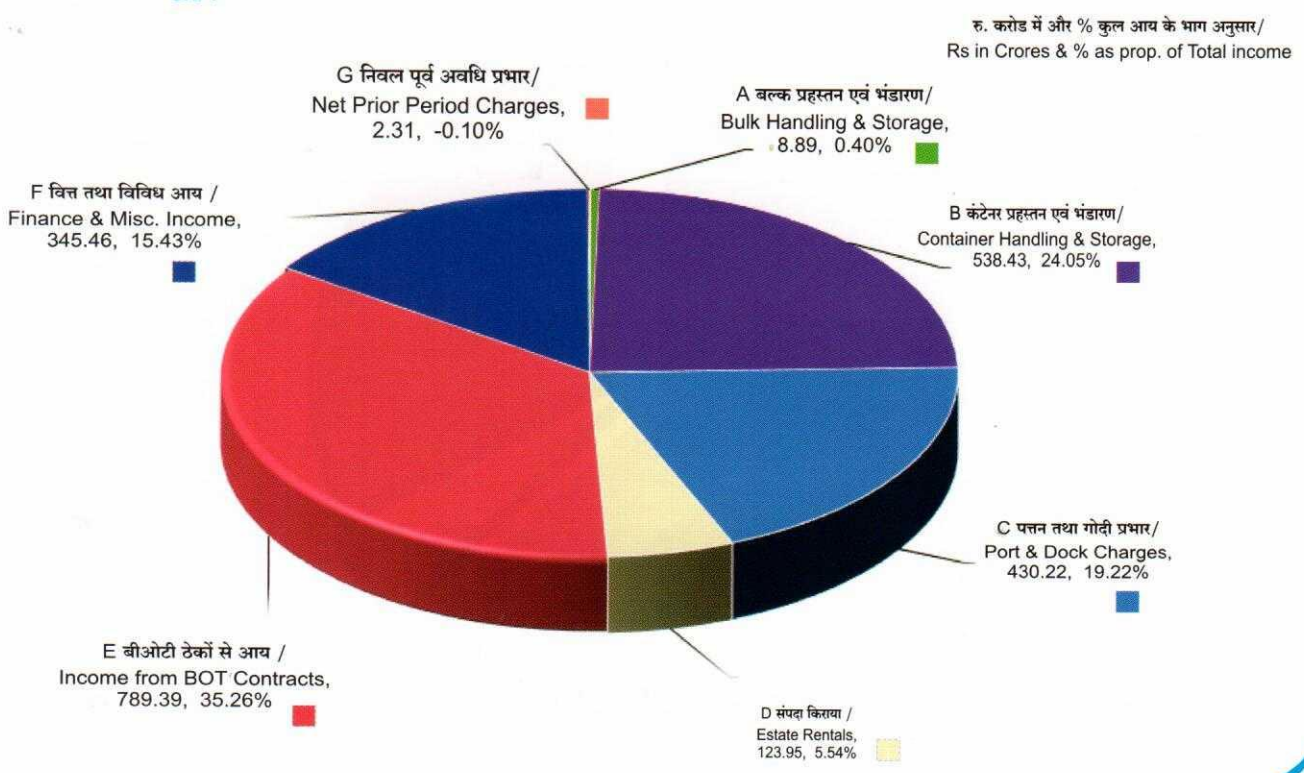

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

में कुल व्यय के प्रतिशत के रुप मे कर्मचारी व्यय (कर को छोडकर) वर्ष 2017-18
EMPLOYEES EXPENDITURE AS A PERCENTAGE OF TOTAL EXPENDITURE (EXCLUDING TAX) 2017-18

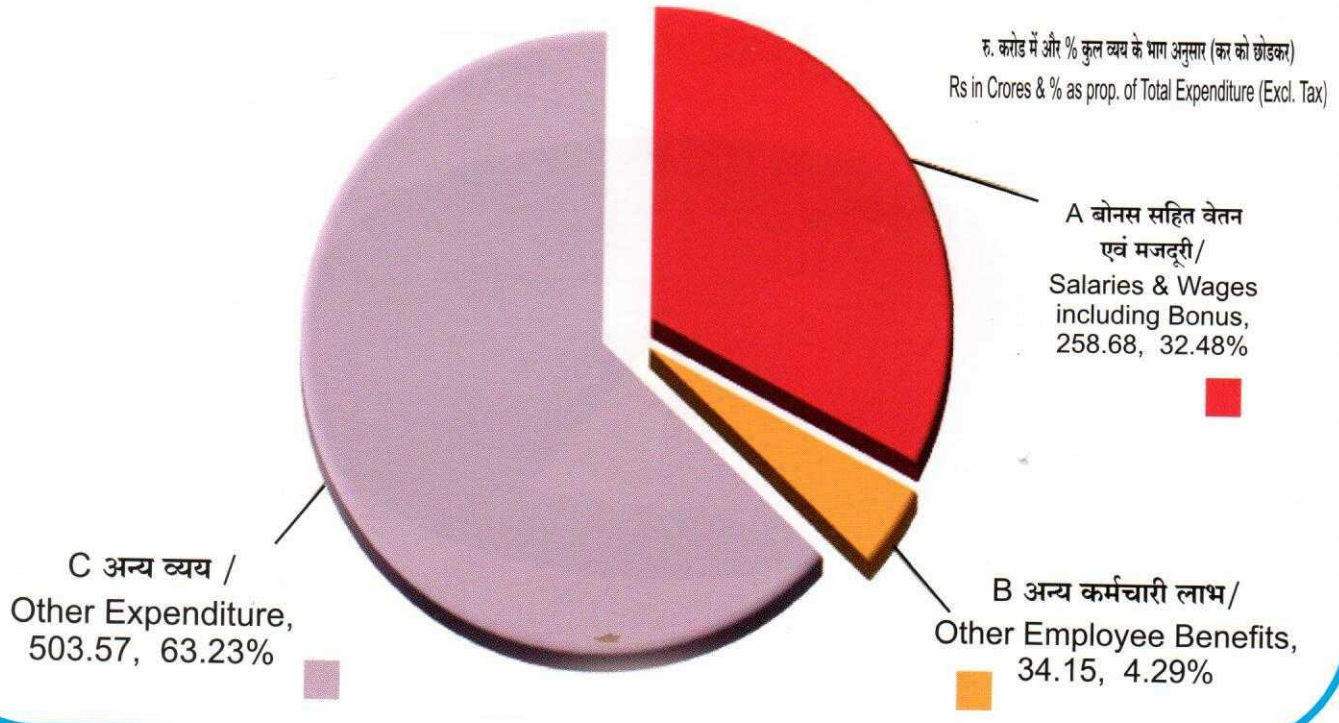

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

वित्तीय संकेतक/ FINANCIAL INDICATOR

(करोड रु.में)
(₹ in Crores)

Sl. No.		विवरण/ Description	2017-18	2016-17
1		नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ/**Return on Capital Employed**		
	क a	कर पूर्व लाभ / **Profit before Tax**	1,442.26	1,344.74
	ख b	जोडें Add : ऋणों पर ब्याज/Interrest on Loan	42.38	8.63
	ग c	घटाएं Less निवेश पर ब्याज interest on Investment	339.68	434.59
	घ d	व्याज से पहले लाभ (क+ख+ग)/Profit before interest	1,144.96	918.77
	ङ e	निवल नियोजित पूंजी (चालू कार्य, बँक सावधि जमा निकालकर) Net Capital Employed (Excl. WIP, BANK TDR)	3,797.39	3,603.38
	च f	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर (घ/ङ) **Rate of Return on Capital Employed (d/e)**	30.15%	25.50%
2		ऋण से आरक्षित एवं अधिशेष/ **Debt to Reserves & Surplus**		
		देय ब्याज सहित ऋण/ Debt including interest due	1,819.85	556.84
		आरक्षित तथा अधिशेष/Reserves & Surplus	8,860.06	7,935.66
		अनुपात/ **Ratio**	0.21	0.07
3		वर्तमान परिसम्पत्तियां से वर्तमान देयताएं **Current Assets to Current Liabilities**		
		वर्तमान परिसम्पत्तियां (बँक सावधि जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR)	6,070.15	4,241.20
		वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान/Current Liabilities & Provisions	3,811.52	3,136.98
		अनुपात/ **Ratio**	1.59:1	1.35:1

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

वित्तीय संकेतक/ FINANCIAL INDICATOR

क्र. सं. Sl. No.		विवरण Description	2017-18	2016-17
4		(कुल परिसम्पतियों से वर्तमान परिसम्पत्तियाँ) /Current Assets to Total Assets		
	क a	(वर्तमान परिसम्पत्तियां (बँक सावधि जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR)	6,070.15	4,241.20
	ख b	कुल परिसम्पत्तियाँ / Total Assets	14,747.27	11,850.21
	ग c	अनूपात/ Ratio	0.41:1	0.36:1
5		प्रचालनीय अनुपात/ Operating Ratio		
	क a	प्रचालनीय व्यय/ Operating Expenditure	751.24	804.97
	ख b	प्रचालनीय आय/ Operating Income	1,890.88	1,700.97
	ग c	अनुपात/ Ratio (%)	39.73 %	47.32%
6		वर्तमान परिसम्पत्तियों से भंडार एवं सामग्री Store and Materials to Current Assets		
	क a	भंडार एवं सामग्री का समापन स्टाक Closing Stock of Store and Materials	32.10	26.78
	ख b	वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (सावधी जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR	6,070.15	4,241.20
	ग c	अनुपात/ Ratio	0.53%	0.63%
7		कार्यचालन अनुपात/ Working Ratio		
	क a	प्रचालनीय व्यय (मूल्य-ह्रास छोडकर) Operating Expenditure (Excl. Depreciation)	674.42	736.03
	ख b	प्रचालनीय आय/Operating Income	1,890.88	1,700.97
	ग c	अनुपात/ Ratio	35.67%	43.27%

नियोजित और अनियोजित योजनाओं पर पूंजीगत व्यय
Capital Expenditure on Plan & Other Plan Scheme

(करोड रु. में)
(₹ in Crores)

विवरण Description	योजना कार्य Plan Works	अन्य योजना कार्य Other Plan Works
वर्तमान वर्ष/ Current Year		
अनुमोदित उपरिव्यय (वार्षिक) / Approved Outlay (Annual 2017-18)	1814.55	35.75
बजट प्राक्क़लन /Budget Estimates	1814.55	35.75
संशोधित प्राक्क़लन /Revised Estimates	1503.24	53.27
आंतरिक संसाधन / Internal Resources	-	-
बजट सहायता/ Budgetary Support	12.50	-
अन्य / Other	-	-
कुल/ Total	1515.74	53.27
वास्तविक व्यय /Actual 2017-18in Expenditure	-	-
योजना अवधि के लिए संचित/Cumulative for the Plan Period		
12 वी योजना में प्रस्तावित उपरिव्यय / Proposed Outlay During XII Plan	23,000.06	-
आंतरिक संसाधन / Internal Resources	4179.40	-
बजट सहायता/ Budgetary Support	24.63	10.03
अन्य एवं नि.प्र.ह./ Other & BOT	18,786.00	-
कुल/ Total	45,990.09	-
12 वीं योजना में वर्ष 2017-18 तक वास्तविक उपरिव्यय Actual Outlay During XII Plan upto 2017-18	1,372.98	10.03

यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोडा गया है।
This page is kept intentionally blank

संघनित वित्तीय विवरण
(वर्ष 2008-09 से 2017-18)

Condensed Financial Statements
(Year 2008-09 to 2017-18)

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निधियों के स्रोत **SOURCES OF FUNDS**				
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष **RESERVES AND SURPLUS**				
पूंजीगत आरक्षित निधियाँ CAPITAL RESERVE	16,051,833,409	17,933,792,675	18,519,792,675	20,005,268,567
राजस्व आरक्षित निधियाँ REVENUE RESERVE	3,157,122,388	3,563,106,533	5,168,723,183	7,477,328,053
सांविधिक आरक्षित निधियाँ STATUTORY RESERVE	1,211,311,942	2,618,058,073	4,782,810,767	5,196,992,952
अवसंरचना आरक्षित निधि INFRASTRUCTURE RESERVE	10,080,000,000	11,798,997,137	12,878,887,920	14,836968,879
	--	--	--	--
कुल आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष **TOTAL RESERVES AND SURPLUS**	**30,500,267,739**	**35,913,954,418**	**41,350,214,545**	**47,516,558,451**

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
22,480,568,567	33,012,568,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567	36,083,168,567
9,530,498,219	1,506,867,430	2,251,513,116	7,055,232,499	23,875,023,826	30,926,470,105
4,128,414,097	3,838,245,162	14,726,147,546	17,109,308,818	19,398,435,589	21,590,916,632
16,426,635,062	19,271,801,025	10,129,588,419	10,129,588,419	--	--
--	--	--	--	--	--
52,566,115,945	**57,629,482,184**	**63,190,417,647**	**70,377,298,303**	**79,356,627,982**	**88,600,555,305**

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण **LOANS**				
भारत सरकार से प्राप्त ऋण LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA	--	--	--	--
भारत सरकार से प्राप्त ऋण (विश्व बैंक) LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA (W.B.)	--	--	--	--
मुम्बई पत्तन न्यास से ऋण LOAN FROM MUMBAI PORT TRUST	--	--	--	--
कांडला पत्तन न्यास से ऋण LOAN FROM KANDLA PORT TRUST	--	--	--	--
चेन्नई पत्तन न्यास से ऋण LOAN FROM CHENNAI PORT TRUST	--	--	--	--
अपरिवर्तनीय डिबेंचर NON CONVERTIBLE DEBENTURES	--	--	--	--
गैर–योजना सरकारी ऋण NON-PLAN GOVERNMENT	--	--	--	--
बैंक ऋण BANK LOANS	--	--	--	--
कर मुक्त बॉण्ड TAX FREE BONDS	--	--	--	--
एमजेपी आरसीएल के लिए बाह्य व्यावसायिक ऋण ECB LOAN FOR MJPRCL	--	--	--	--
कुल ऋण देयता **TOTAL LOAN LIABILITY**	--	--	--	--
पेन्शन एवं भविष्य निधियाँ PENSION AND PROVIDENT FUNDS	--	--	--	--
आस्थागित कर देयता DEFERRED TAX LIABILITIES	656,699,604	740,043,865	815,275,818	893,850,320
निधियों के कुल स्रोत **TOTAL SOURCES OF FUNDS**	**31,156,967,343**	**36,653,998,283**	**42,165,490,363**	**48,410,408,772**

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
413,196,000	413,196,000	413,196,000	413,196,000	413196000	413196000
--	--	--	--	5,155,250,750	17785284029
413,196,000	**413,196,000**	**413,196,000**	**413,196,000**	**5,568,446,750**	**18,198,480,029**
--	--	--	--	--	--
971,788,362	1,024,838,126	1,443,822,599	1,833,524,284	2,207,304,709	2,558,462,034
53,951,100,307	**59,067,516,310**	**65,047,436,246**	**72,624,018,587**	**87,132,379,441**	**109,357,497,368**

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निधियों का उपयोग **APPLICATION OF FUNDS**				
पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ CAPITAL ASSETS (Incl. WIP)	13,540,479,563	15,407,741,555	15,873,782,301	17,291,167,251
घटाएँ : मूल्यह्रास LESS DEPRECIATION	4,563,754,077	4,899,791,095	5,070,529,760	5,455,760,323
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ **NET FIXED ASSETS**	**8,976,725,486**	**10,507,950,461**	**10,803,252,540**	**11,835,406,928**
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR	463,494,614	445,318,355	427,142,095	408,965,836
निवेश **INVESTMENTS**				
भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि निवेश PF & PENSION FUND INVESTMENTS	--	--	--	--
अन्य निवेश OTHER INVESTMENTS	639,000,000	777,000,000	775,000,000	700,500,000
कुल निवेश **TOTAL INVESTMENTS**	**639,000,000**	**777,000,000**	**775,000,000**	**700,500,000**

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
19,584,493,586	29,673,804,295	31,130,115,877	33,701,011,302	36,548,390,744	47,784,049,691
5,886,750,584	6,298,768,174	6,693,365,710	7,369,661,082	8,023,903,865	8,788,136,866
13,697,743,002	**23,375,036,121**	**24,436,750,166**	**26,331,350,220**	**28,524,486,880**	**38,995,912,825**
390,789,576	372,613,317	354,437,058	336,260,798	315,026,027	346,040,856
--	--	--	--	--	--
400,000,000	550,000,000	580,000,000	733,000,000	767,810,000	1,126,871,516
400,000,000	**550,000,000**	**580,000,000**	**733,000,000**	**767,810,000**	**1,126,871,516**

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ DEFERRED TAX ASSETS	--	--	--	--
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ और अग्रिम ऋण CURRENT ASSETS AND ADVANCES LOANS	26,738,101,337	32,747,535,750	40,052,290,870	48,227,146,169,
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5,660,354,094	7,823,806,282	9,892,195,142	12,761,610,161
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ **NET CURRENT ASSETS**	**21,077,747,243**	**24,923,729,467**	**30,160,095,728**	**35,465,536,008**
घाटा DEFICIT	--	--	--	--
निधियों का कुल योग **TOTAL OF ASSETS**	**31,156,967,343**	**36,653,998,283**	**42,165,490,363**	**48,410,408,772**

तुलन पत्र / BALANCE SHEET

(राशि रु. में / Amount in Rs)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
--	--	--	--	--	--
57,786,223,456	54,645,488,169	62,601,172,964	71,252,725,817	88,894,820,460	107,003,905,166
18,323,655,727	19,875,621,298	22,924,923,943	26,029,318,248	31,369,763,925	38,115,232,995
39,462,567,729	**34,769,866,871**	**39,676,249,021**	**45,223,407,569**	**57,525,056,535**	**68,888,672,171**
--	--	--	--	--	--
53,951,100,307	**59,067,516,310**	**65,047,436,246**	**72,624,018,587**	**87,132,379,441**	**109,357,497,368**

राजस्व लेखा / REVENUE ACCOUNT

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रचालनीय आय OPERATING INCOME				
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार Bulk Handiling & Storage Charges	24,198,291	23,956,447	63,697,121	39,466,141
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार Container Handling & Storage Charges	2,778,208,880	2,174,376,870	2,531,976,034	2,825,358,784
पत्तन तथा गोदी प्रभार Port & Dock Charges	1,411,417,891	1,601,737,157	1,623,096,312	1,667,271,747
संपदा किराए Estate Rentals	656,046,999	641,349,592	658,299,841	772,467,296
नि.प्र.ह. ठेकों से आय Income From BOT contracts	4780772384	5,979,207,883	6,349,280,914	6,366,921,077
कुल प्रचालनीय आय (क) TOTAL OPERATING INCOME (A)	**9,650,644,445**	**10,420,627,949**	**11,226,350,222**	**11,671,485,045**

राजस्व लेखा / REVENUE ACCOUNT

(राशि रु. में / Amount in Rs)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
70,733,994	54,074,330	63,195,450	86,152,536	85,542,832	88,905,432
3,183,842,607	3,319,797,682	4,199,055,841	4,885,706,658	5,268,198,530	5,384,299,352
1,826,483,150	2,075,925,305	2,622,280,315	3,394,336,521	3,588,008,538	4,302,206,666
814,062,215	928,848,423	965,875,838	1,025,064,661	929,231,379	1,239,542,568
5,083,636,314	7,074,277,312	7,230,371,788	7,259,730,147	7,138,675,375	7,893,891,243
10,978,740,280	**13,452,923,053**	**15,080,779,231**	**16,650,990,523**	**17,009,656,654**	**18,908,845,261**

राजस्व लेखा / REVENUE ACCOUNT

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रचालनीय व्यय **OPERATING EXPENDITURE**				
बल्क प्रहस्तन तथा भंडारण Bulk Handling & Storage	39,020,044	39,833,243	42,151,211	58,133,366
कंटेनर प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार Container Handling & Storage Charges	1,302,524,290	1,402,771,617	1,502,621,970	1,797,573,799
नौवहन हेतु पत्तन एवं गोदी सुविधाएँ Port & Dock Facilities for Shipping	761,254,031	843,582,801	874,090,873	828,358,412
रेल कार्यचालन Railways Working	12,145,606	12,145,606	12,145,606	12,145,606
किराए योग्य भूमि एवं भवन Rentable Lands & Buildings	298,637,533	327,969,254	432,928,101	419,508,080
बीओटी ठेकों पर व्यय Expenditure on BOT Contracts	451,486,599	460,553,448	520,175,754	627,485,505
उप-योग **SUB-TOTAL**	**2,865,068,104**	**3,086,855,969**	**3,384,113,516**	**3,743,204,768**
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन Management & General Administration	888,626,204	850,170,988	1,060,452,758	1,253,083,830
कुल प्रचालनीय व्यय (ख) **TOTAL OPERATING EXPENSE (B)**	**3,753,694,308**	**3,937,026,957**	**4,444,566,274**	**4,996,288,598**

राजस्व लेखा / REVENUE ACCOUNT

(राशि रु. में / Amount in Rs)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
76,877,476	83,169,559	78,843,952	38,098,426	49,782,586	49,958,318
2,364,700,002	2,596,425,558	2,770,967,261	2,678,685,937	2,848,048,970	3,300,042,007
872,604,425	886,915,804	1,100,698,686	1,626,038,375	1,903,695,236	1,194,242,253
12,141,820	12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823	12,141,823
709,837,372	433,986,508	527,351,349	291,703,688	351,507,368	337,192,745
696,823,151	622,423,768	743,324,261	679,742,326	836,993,489	773,228,996
4,732,984,246	**4,635,063,020**	**5,233,327,332**	**5,326,410,575**	**6,002,169,472**	**5,666,806,142**
1,354,045,817	1,475,200,855	1,481,803,106	1,604,744,132	2,047,501,995	1,845,629,117
6,087,030,063	**6,110,263,875**	**6,715,130,438**	**6,931,154,707**	**8,049,671,467**	**7,512,435,259**

राजस्व लेखा / REVENUE ACCOUNT

(राशि रु. में / Amount in Rs)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रचालनीय लाभ (क-ख) **OPERATING PROFIT (A-B) C=(A-B)**	**5,896,950,137**	**6,483,600,991**	**6,781,783,948**	**6,675,196,447**
वित्त एवं विविध आय Finance & Miscellaneous Income **(D)**	1,973,820,383	1,769,295,458	1,663,753,901	2,801,694,968
वित्त एवं विविध व्यय Finance & Miscellaneous Expenses **(E)**	752,805,976	257,603,306	575,270,774	791,081,201
निवल पूर्व अवधि मदें Net prior Period items **(F)**	(5,060,123)	161,566,041	3,537,107	(243,732,014)
कर पूर्व लाभ **PROFIT AFTER TAX G=(C+D+E+F)**	**7,123,024,667**	**7,833,727,103**	**7,866,711,969**	**8,929,542,228**
कराधान हेतु प्रावधान Provision for Taxation				
वर्तमान कर Current tax **(H)**	2,110,000,000	2,337,277,598	2,355,582,045	2,680,654,046
आस्थगित कर Deferred tax	70,935,000	83,344,261	75,231,953	78,574,502
अनुषंगी लाभ कर Fringe Benefit Tax	17,900,000	-		-
निवल लाभ (असाधारण मदों से पूर्व) **NET PROFIT (Before EOI)**	**4,924,189,667**	**5,413,105,244**	**5,435,897,971**	**6,170,313,680**
असाधारण मदें Extra Ordinary Items (परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि) (Loss on sale of Assets)	(375,344,744)	-	-	-
निवल लाभ (कर तथा असाधारण मदें के बाद) **NET PROFIT AFTER TAX AND EOI**	**5,299,534,411**	**5,413,105,244**	**5,435,897,971**	**6,170,313,680**

टिप्पणियाँ :
1. वित्तीय वर्ष 2002-03 तक बीओटी ठेकों से प्राप्त आय, वित्त एवं विविध आय के अधीन दिखाई गई है।
2. वित्त एवं विविध आय / व्यय के हिस्से वाली पूर्व अवधि मदों को वित्तीय वर्ष 2003-04 से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।
3. आस्थगित कर वित्तीय वर्ष 2003-04 से शुरू हुआ।
4. बोनस वित्त एवं विविध के बजाय सम्बधित विभागों में दर्शाया गया है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2002-03 तक किया जा रहा था।

राजस्व लेखा / REVENUE ACCOUNT

(राशि रु. में / Amount in Rs)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
4,891,710,217	**7,342,659,178**	**8,365,648,793**	**9,719,835,816**	**8,959,985,187**	**11,396,410,002**
3,979,601,738	3,524,300,049	3,013,273,963	3,195,986,105	4,614,603,346	3,454,575,629
1,566,749,298	3,112,432,471	2,938,684,703	1,321,122,525	165,319,226	451,445,406
(2,905,625)	83,921,943	16,006,762	(49,955,453)	(38,092,956)	(23,096,920)
7,307,468,282	**7,670,604,812**	**8,424,231,291**	**11,644,654,849**	**13,447,362,262**	**14,422,637,145**
2,179,972,746	2,554,188,811	2,444,311,354	3,339,572,508	4,280,352,159	4,551,097,040
77,938,042	53,049,764	418,984,473	389,701,685	373,780,425	351,157,325
-	-	-	-	-	-
5,049,557,494	**5,063,366,237**	**5,560,935,464**	**7,915,380,656**	**8,793,229,679**	**9,520,382,779**
-	-	-	728,500,000	-	-
5,049,557,494	**5,063,366,237**	**5,560,935,464**	**7,186,880,656**	**8,793,229,679**	**9,520,382,779**

Notes :
1. Till F.Y 2002-03 Income from BOT contracts shown under F&M Income.
2. Prior Period items forming part of F&M Income/Expenditure are distinctly shown from F.Y 2003-04.
3. Deferred Tax introduced from the F.Y 2003-04.
4. Bonus allocated to respective depertments instead of F&M as was being done till F.Y 2002-03.

वित्तीय अनुपात / FINANCIAL RATIOS

(करोड रु. में / Rs. in Crores)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रचालनीय आय Operating Income	965.06	1,042.06	1,122.64	1,167.15
प्रचालनीय व्यय Operating Expenses	375.37	393.70	444.46	499.63
वित्त एवं विविध आय F&M Income	197.89	176.93	166.37	304.54
प्रचालनीय अनुपात Operating Ratio (%)	**38.90%**	**37.78%**	**39.59%**	**42.81%**
कुल आय (करोड़ों में) Total Income (in crs)	1,162.95	1,218.99	1,289.01	1,471.69
निवल लाभ / हानि (करोड़ों में) Net Profit / (Loss) (in crs)	**529.95**	**541.31**	**543.59**	**617.03**
निवल लाभ अनुपात Net Profit Ratio (%)	**45.57%**	**44.41%**	**42.17%**	**41.93%**
कुल आय में वित्त एवं विविध आय का अनुपात / Ratio of F&M Income to total income (%)	**17.02%**	**14.51%**	**12.91%**	**20.69%**

वित्तीय अनुपात / FINANCIAL RATIOS

(करोड रु. में / Rs. in Crores)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1,097.87	1,345.29	1,508.08	1,665.10	1,700.97	1,890.88
608.70	611.03	671.51	693.12	804.97	751.24
398.25	352.43	301.33	319.60	461.46	345.46
55.44%	**45.42%**	**44.53%**	**41.63%**	**47.32%**	**39.73%**
1,496.12	1,697.72	1,809.41	1,984.70	2,162.43	2,236.34
504.96	**506.34**	**556.09**	**718.69**	879.32	952.04
33.75%	**29.82%**	**30.73%**	**36.21%**	**40.66%**	**42.57%**
26.62%	**20.76%**	**16.65%**	**16.10%**	**21.34%**	**15.45%**

वित्तीय अनुपात / FINANCIAL RATIOS

(करोड रु. में / Rs. in Crores)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (टीडीआर सहित) Current Assets (Including TDR)	2,673.81	3,274.75	4,005.23	4,822.71
वर्तमान देयताएँ Current Liabilities	566.04	782.38	989.22	1,276.16
वर्तमान अनुपात (कितने गुना) **Current Ratio (No of times)**	**4.72**	**4.19**	**4.05**	**3.78**
निवल लाभ Net Profit	529.95	541.31	543.59	617.03
इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष) Equity (Reserves and Surplus)	3,050.03	3,591.40	4,135.02	4,751.66
निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (प्रतिशत) **Return on Networth (%)**	**17.38%**	**15.07%**	**13.15%**	**12.99%**
कुल ऋण Total Debt	-	-	-	-
ऋण में इक्विटी अनुपात Debt To Equity ratio	-	-	-	-
नियोजित पूंजी Capital Employed	1,506.52	1,671.98	1,777.08	1,942.04
नियोजत पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत) **Return on Capital Employed (%)**	**37.26%**	**37.55%**	**35.59%**	**32.81%**

वित्तीय अनुपात / FINANCIAL RATIOS

(करोड रु. में / Rs. in Crores)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
5,778.62	5,464.55	6,260.12	7,125.27	8,889.48	10,700.39
1,832.37	1,987.56	2,292.49	2,602.93	3,136.98	3,811.52
3.15	**2.75**	**2.73**	**2.74**	**2.83**	**2.81**
504.96	506.34	556.09	718.69	879.32	952.04
5,256.61	5,762.95	6,319.04	7,037.73	7,935.66	8,860.06
9.61%	**8.79%**	**8.80%**	**10.21%**	**11.08%**	**10.75%**
41.32	41.32	41.32	41.32	556.84	1,819.85
0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.21
1,785.32	2,010.91	3,247.88	3,555.27	3,603.38	3,797.39
23.24%	**21.72%**	**17.02%**	**22.49%**	**25.50%**	**30.15%**

प्रहस्तित यातायात / TRAFFIC HANDLED

(मीट्रिक टनों में / IN METRIC TONNES)

विवरण Description	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सूखा बल्क DRY BULK	-	-	870,686	708,118
विघटित बल्क BREAK BULK	815,932	1,038,678	214,864	128,511
वाहन VEHICLES	9,919	1,059	-	-
वाहन (संख्या) VEHICLES (Nos.)	(7,077)	(756)	-	-
वाहनों सहित विघटित बल्क BREAK BULK INCL VEHICLES	**825,851**	**1,039,737**	**214,864**	**128,511**
द्रव – जनेप न्यास बल्क LIQUID-JNPT BULK	98,394	128,166	136,385	80,844
द्रव – (बीपीसीएल) LIQUID (BPCL)	5,768,495	6,499,227	6,660,985	6,576,569
कुल द्रव - (जनेप बल्क + बीपीसीएल) TOTAL LIQUID (JNPT BULK+BPCL)	**5,866,889**	**6,627,393**	**6,797,370**	**6,657,413**
कुल बल्क TOTAL BULK	**6,692,740**	**7,667,130**	**7,882,920**	**7,494,042**

प्रहस्तित यातायात / TRAFFIC HANDLED

(मीट्रिक टनों में / IN METRIC TONNES)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
593,556	700,977	652,584	674,064	815,680	904,624
105,876	115,941	25,678	58,109	24,410	46,997
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
105,876	**115,941**	**25,678**	**58,109**	**24,410**	**46,997**
-	115,263	441,850	537,913	523,967	583,160
5,879,354	6,166,394	5,747,794	5,966,743	6,257,018	6,603,321
5,879,354	**6,281,657**	**6,189,644**	**6,504,656**	**6,780,985**	**7,186,481**
6,578,786	**7,098,575**	**6,867,906**	**7,236,829**	**7,621,075**	**8,138,102**

प्रहस्तित यातायात / TRAFFIC HANDLED

(मीट्रिक टनों में / IN METRIC TONNES)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
16,031,669 (1,208,133)	16,724,073 (1,312,715)	15,946,985 (1,294,002)	17,976,822 (1,429,223)	18,297,756 (1,533,975)	16,568,564 (1,481,768)
14,941,313 (1,044,105)	13,189,163 (969,456)	14,133,771 (1,160,219)	12,055,150 (999,680)	8,900,431 (728,560)	7,876,537 (641,122)
- -	- -	- -	2,463,588 (202,328)	5,553,759 (445,111)	8,282,970 (659,400)
26,938,409 (2,007,076)	25,321,082 (1,879,528)	26,852,628 (2,012,474)	24,294,531 (1,860,283)	21,778,297 (1,792,503)	24,893,462 (2,027,895)
- -	- -	- -	- -	- -	244,493 (23,212)
57,911,391	**55,234,318**	**56,933,384**	**56,790,091**	**54,530,243**	**57,866,026**
(4,259,314)	**(4,161,699)**	**(4,466,695)**	**(4,491,514)**	**(4,500,149)**	**(4,833,397)**
64,490,177	**62,332,893**	**63,801,290**	**64,026,920**	**62,151,318**	**66,004,128**

यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोडा गया है।
This page is kept intentionally blank